

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जाता है। कंपनी के देश भर में फैले राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपोसिट एक्सेसिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2021 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिहें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है (i) आरईसी की लागत और खर्च (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्नुगतान; क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेसी एंड बैंकरसी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात् वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है और प्रमुख ब्याज आय के तहत अलग से प्रकट किया गया है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअ फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएँ

क्रण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रैमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्ति अपने अभीष्ट उपयोग विक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इकिवटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तन्त्रजुट अर्जन की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इकिवटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इकिवटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनःमाप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गेर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह सभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूँजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया है 'उन्हें अग्रिम पूँजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यहास नहीं होता है।

भूमि में उपयोग के अधिकार के रूप में पट्टे समझौते के तहत भूमि भी शामिल है जिसे संपत्ति के रूप में माना जाता है इसे पहले वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचयित मूल्यहास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000/- रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह झंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूँजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूँजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूँजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया है, को 'अग्रिम पूँजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.8 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन-देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यव्यापास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूँजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बहुत एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(उत्तरवर्ती माप (मूल्यव्यापास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यव्यापास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.9 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इकिवटी दस्तावेज को जन्म देता है। प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी, वित्तीय दस्तावेज के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इकिवटी शेयर में निवेश (भारतीय लेखाकरण मानक 27 के अनुरूप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इकिवटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी व्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और व्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी व्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इकिवटी दस्तावेज हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोदिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोदिष्ट एवं हैजिंग दस्तावेज के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनियम दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, बशर्ते प्रभावी हैजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं हो।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इकिवटी दस्तावेज शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इकिवटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इकिवटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इकिवटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलने-पत्र से हटा दिया जाता है)। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोदिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्य कृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी मेजबान अनुबंध जो एक वित्तीय देयता की प्रकृति में हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्न से अलग हैं उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनियम या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हैजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

- हेज की गई मद और हैजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- हैजिंग संबंध का हैज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हैज किए गए आइटम/मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हैज करती है और उस हैजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हैज की उस मात्रा को हैज करने के लिए करती है।

हैज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हैज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हैज में हैजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इकिवटी में नगदी प्रवाह हैज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हैज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हैज किया गया आइटम लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इकिवटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हैजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हैज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणीनतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हैज की गई मद की पहचान, हैजिंग लिखत, हैज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हैज अनुपात और हैजिंग संबंध किस प्रकार से हैजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.10 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियां

कंपनी निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि-स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-महीने ईसीएल और चरण-2 के लिए लाइफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उदारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरुपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभियक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित व्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, ईडी और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भर्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। कंपनी मानती है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बढ़े खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बढ़े खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.11 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में रोकड़ शेष एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिविंग निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निर्धारक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.12 लाभांश और इकिवटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इकिवटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इकिवटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब कंपनी द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.13 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इकिवटी को पुनःप्रस्तुत किया जाता है।

3.14 पूर्वदत्त व्यय

1,00,000/- रुपए तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.15 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इकिवटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इकिवटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर की वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर एवं कर योग्य आय की गणना में उपयोग संबंधित कर के आधार पर मान्यता दी जाती है। अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से जुड़े अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर प्रदान नहीं किया जा सकता है यदि इन अस्थायी अंतरों के रिवर्सल को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि निकट भविष्य में रिवर्सल नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इकिवटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इकिवटी में दी जाती है।

3.16 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है: परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनः मापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है: यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.18 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय दस्तावेज, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सुजित किया जा सके।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित है, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्घृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, विचार योग्य है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.19 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.20 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां

गैर – चालू वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री मुख्य रूप से लेनदेन के माध्यम से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तकाल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी गैर-चालू परिसंपत्तियों को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी गैर-चालू परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती हैं और गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने व्याज दर बैंचमार्क सुधार के संबंध में इंड एएस 107 और इंड एएस 109 में संशोधन के अलावा इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका उद्देश्य व्याज दर बैंचमार्क (आईबीओआर) सुधार के कारण अनिश्चितता के संभावित प्रभावों से राहत प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट हेज लेखांकन की आवश्यकताओं का संशोधन करना है। व्याज दर बैंचमार्क सुधार और कंपनी पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता – आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता – क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 के प्रकोप का प्रभाव – कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की विंताओं का पूर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड-19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव कोविड-19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड-19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल है।

मूल्यव्यापार/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि – प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यव्यापार/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन – वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों दस्तावेजों की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर – आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भर्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है;

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
– कैश इन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
– बैंकों में शेष राशि		
– चालू खातों में	237.93	1,173.41
– 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा*	902.44	504.56
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	1,140.49	1,678.03

*4 नवंबर 2019 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार ₹ 262.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का रखरखाव शामिल है। (टिप्पणी 47.2.4 के सन्दर्भ में)

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
– बैंकों में चिन्हित शेष		
– अप्रदत्त लाभांश के लिए		
– अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	5.79	4.75
	1,065.84	1,616.49
– चिन्हित आवधिक जमा राशि		
– न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि		
– बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.56	0.53
	0.25	-
– प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	856.62	400.19
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	1,929.06	2,021.96
–12 वर्षों से अधिक के लिए बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.25	-

7.1 31 मार्च, 2021 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं बैंकों में शेष के संबंध में (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) कोई रिपोर्ट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाएं गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 47 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियां	उचित मूल्य— देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य— परिसंपत्तियां	उचित मूल्य— देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
स्पॉट एवं फारवर्ड्स	-	-	-	565.39	27.62	-
मुद्रा विनियम	2,854.54	43.07	121.08	3,094.32	432.94	-
— अन्य						
— कॉल स्प्रेड	4,263.27	271.36	-	6,068.56	504.12	-
सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	22,321.22	2,212.46	-
उप — जोड़ (i)	27,599.89	1,971.62	164.33	32,049.49	3,177.14	-
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
— अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनियम	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
उप जोड़ (ii)	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
रिवर्स क्रांस मुद्रा विनियम	4,547.00	-	278.33	4,347.00	-	739.67
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	57,182.57	2,311.22	846.31	65,453.01	3,318.85	1,325.73

भाग II

भाग I में शामिल डेरिवेटिव ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार			31-03-2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य — परिसंपत्तियां	उचित मूल्य — देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य — परिसंपत्तियां	उचित मूल्य — देयताएं
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग						
मुद्रा व्युत्पन्न						
मुद्रा विनियम	2,756.43	23.86	121.08	8,638.68	2.32	303.14
— अन्य						
— कॉल स्प्रेड	1,837.62	77.74	-	1,884.65	97.16	-
सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	11,348.70	1,662.20	-
ब्याज दर व्युत्पन्न						
— अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनियम	13,055.84	-	318.18	9,498.62	5.24	134.45
उप — जोड़ (i)	38,131.97	1,758.79	482.51	31,370.65	1,766.92	437.59
(ii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	19,050.60	552.43	363.80	34,082.36	1,551.93	888.14
कुल — व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii)	57,182.57	2,311.22	846.31	65,453.01	3,318.85	1,325.73

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज भी हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर-नामितव्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9 ऋण

कपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) आवधिक ऋण	377,041.98	378,090.36	321,526.76	323,177.53
(ii) कार्यशील पूँजीगत ऋण	376.17	377.24	897.92	902.01
कुल (क) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
घटाएः इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
कुल (क) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ख) प्रतिभूति व्यौरा				
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूति	256,744.52	257,329.46	244,034.67	245,113.22
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूति	-	-	-	-
(iii) बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत	101,071.53	101,456.48	58,166.76	58,684.29
(iv) अप्रतिभूति	19,602.10	19,681.67	20,223.25	20,282.03
कुल (ख) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
घटाएः इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
कुल (ख) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ग) (I) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	338,810.31	339,877.44	284,644.05	286,210.40
(ii) निजी क्षेत्र	38,607.84	38,590.16	37,780.63	37,869.14
कुल (ग) (I) – सकल ऋण	377,418.15	378,467.60	322,424.68	324,079.54
घटाएः इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
कुल (ग) (I) – निवल ऋण	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50
(ग) (II) भारत से बाहर ऋण				
घटाएः इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
कुल (ग) (II) – निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	364,212.04	365,261.49	310,428.64	312,083.50

9.1 भारतीय—लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
निवल ऋण	365,261.49	312,083.50
घटाएः : भारतीय—लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित व्याज और बकाया राशि	(504.10)	(1,351.75)
घटाएः : भारतीय—लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित व्याज और बिन बकाया राशि	(635.00)	(382.63)
जोड़ें : भारतीय—लेखांकन मानक के तहत बंद की गई समावित ऋण हानि के लिए भत्ता	13,206.11	11,996.04
घटाएः : प्रभावी व्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय—लेखांकन मानक समायोजन	89.65	79.52
सकल ऋण	377,418.15	322,424.68

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.2. ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	11,996.04	11,497.93
जोड़े : वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 35 के संदर्भ में)	2,362.62	876.52
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(1,152.55)	(378.41)
शेष राशि	13,206.11	11,996.04

9.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) / पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹1,152.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹378.41 करोड़) की राशि के ऋणों को बढ़ाया था में डाल दिया है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून 2020 को किए गए पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹979.56 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹65.25 करोड़ की राशि को बढ़ाया था में डाल दिया है (₹830.00 करोड़ का आवधिक ऋण और ₹149.56 करोड़ का विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर)।

(ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में कंपनी ने ₹329.12 करोड़ की वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹181.86 करोड़ की राशि को भढ़ाया था में डाल दिया है। (₹102.27 करोड़ की नकद राशि, ₹199.72 करोड़ का गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि)।

(ग) आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर 2020 को निष्पादित पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹1,396.55 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹905.44 करोड़ की राशि को भढ़ाया था में डाल दिया है। (₹1,396.55 करोड़ का आवधिक ऋण और विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य)।

पुनर्गठन / निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी संख्या 10 के सन्दर्भ में)

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बैंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इकिवटी शेयरों को निकाले जाने पर ₹112.67 करोड़ (₹124.12 करोड़ की वसूलियों का निवल) की ऋण राशि और ₹102 करोड़ (प्रत्येक ₹10 के 10.20 करोड़ इकिवटी शेयर) के इकिवटी निवेश को बढ़ाया था में डाल दिया है।

(ख) रत्न इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹478.09 करोड़ की वसूलियों (405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹17.59 करोड़ के इकिवटी शेयर, ₹22.18 करोड़ के मौचनयोग्य शेयर और ₹32.42 करोड़ के विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी मौचनयोग्य वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹265.74 करोड़ की राशि को राशि को बढ़ाया था में डाल दिया है।

पुनर्गठन / निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी 10 के सन्दर्भ में)

9.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण बही		377,418.15		322,424.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	92%	348,293.80	88%	285,183.96
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	8%	29,124.35	12%	37,240.72
जिसमें से,				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिशूलि ऋण	71%	20,597.00	67%	25,015.01
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण / सरकार को दिए गए ऋण।	10%	2,848.13	21%	7,685.39
अप्रतिशूलि ऋण	19%	5,679.22	12%	4,540.32

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)
31 मार्च, 2021 को							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	649.08	-	649.08
ऋण प्रतिभूतियां	376.62	-	143.06	-	519.68	-	519.68
इकिवटी दस्तावेज	-	430.13	23.60		453.73	218.20	671.93
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	69.08	-	69.08
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल - सकल (क)	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
कुल - सकल (ख)	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
कुल निवेश	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
घटाएः इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल - निवल (घ=क-ग)	1,051.79	430.13	209.65	-	1,691.57	218.20	1,909.77
31 मार्च, 2020 को							
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	1,500.62	-	1,500.62	-	1,500.62
इकिवटी दस्तावेज	-	507.43	12.50		519.93	218.20	738.13
वरीयता शेयर	22.93	-	45.41	-	68.34	-	68.34
अन्य	-	6.12	-	-	6.12	-	6.12
कुल - सकल (क)	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
कुल - सकल (ख)	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
कुल निवेश	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21
घटाएः इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल - निवल (घ=क-ग)	22.93	513.55	1,558.53	-	2,095.01	218.20	2,313.21

10.1 निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रतिभूतियां					
- 5.77% जीएसईसी 2030	परिशोधित लागत	5,000,000	49.95	-	-
- 7.17% जीएसईसी 2028	परिशोधित लागत	5,000,000	54.64	-	-
- 7.27% जीएसईसी 2026	परिशोधित लागत	5,000,000	55.98	-	-
- 5.22% जीएसईसी 2025	परिशोधित लागत	5,000,000	50.99	-	-
-7.29% कर्नाटक एसडीएल 2309	परिशोधित लागत	10,000,000	100.97	-	-
-7.24% कर्नाटक एसडीएल 2037	परिशोधित लागत	5,000,000	50.30	-	-
- 6.95% तमिलनाडु एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	2,500,000	25.02	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर माघे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- 6.48% कर्नाटक एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	4,000,000	41.26	-	-
- 6.85% राजस्थान एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	3,000,000	29.95	-	-
- 6.60% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधित लागत	5,000,000	51.28	-	-
- 6.60% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधित लागत	2,000,000	19.74	-	-
- 8.44% झारखंड एसडीएल 2029	परिशोधित लागत	3,000,000	32.53	-	-
- 8.35% केरल एसडीएल 2029	परिशोधित लागत	1,000,000	10.86	-	-
- 8.60% गुजरात एसडीएल 2028	परिशोधित लागत	2,000,000	22.70	-	-
- 8.57% राजस्थान एसडीएल 2028	परिशोधित लागत	1,000,000	11.02	-	-
- 6.20% राजस्थान एसडीएल 2027	परिशोधित लागत	2,000,000	20.36	-	-
- 7.20% महाराष्ट्र एसडीएल 2027	परिशोधित लागत	2,000,000	21.53	-	-
उप-जोड़ - सरकारी प्रतिभूतियां			649.08		-
ऋण प्रतिभूतियां					
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बांड	परिशोधित लागत	850	88.18	-	-
- भारतीय खाद्य निगम के 6.65% बांड	परिशोधित लागत	200	20.62	-	-
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बांड	परिशोधित लागत	250	26.33	-	-
- दामोदर धाटी निगम के 8.69% बांड	परिशोधित लागत	200	21.88	-	-
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधित लागत	200	22.65	-	-
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बांड	परिशोधित लागत	150	15.63	-	-
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बांड	परिशोधित लागत	100	10.52	-	-
- एनएमडीसी लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधित लागत	200	21.71	-	-
- इंडियन बैंक के 11.15% निरंतर बांड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
- बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% निरंतर बांड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.00
- सिडिकेट बैंक के 11.25% निरंतर बांड	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबैंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228,525,079	99.33	-	-
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबैंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	100,612,911	43.73	-	-
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबैंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,635,162	-	-	-
- फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबैंचर (एनसीडी)	परिशोधित लागत	25,291,783	149.10	-	-
- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबैंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला ए	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	213,803,170	-	-	-
- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबैंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला बी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,303,032	-	-	-
- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबैंचर (ओसीडी) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. की श्रृंखला दी	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10,474,150	-	-	-
उप-जोड़ - ऋण प्रतिभूतियां			519.68		1,500.62

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
इकिवटी दस्तावेज					
– एनएचपीसी लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	175,302,206	428.61	175,302,206	349.73
– इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	12,271,211	157.01
– हुडको लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	347,429	1.52	347,429	0.69
– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,000,000	-	16,000,000	-
– रत्न इंडिया पावर लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	92,568,105	23.60	92,568,105	12.50
– आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	181,790,667	-	-	-
उप-जोड़ – इकिवटी दस्तावेज			453.73		519.93
सहायक कंपनियां (टिप्पणी 10.2 देखें)					
– आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	अन्य (लागत पर)	85,500	0.10	50,000	0.05
– आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.	अन्य (लागत पर)	-	-	50,000	0.05
उप-जोड़ – सहायक कंपनियां			0.10		0.10
संयुक्त उद्यम					
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	अन्य (लागत पर)	218,100,000	218.10	218,100,000	218.10
उप-जोड़ – संयुक्त उद्यम			218.10		218.10
वरीयता शेयर (पीएस)					
– रत्न इंडिया पावर लि. के विमोचन योग्य पीएस	परिशोधित लागत	28,720,978	26.09	28,720,978	22.93
– रत्न इंडिया पावर लि. के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	43,303,616	42.99	43,303,616	45.41
उप-जोड़ – वरीयता शेयर			69.08		68.34
अन्य					
– “स्मॉल इंज व्यूटीफुल” वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	6,152,200	-	6,152,200	6.12
उप-जोड़ – अन्य		6,152,200	-	-	6.12
कुल निवेश			1,909.77		2,313.21

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 51.1 देखें।

10.2 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के ब्यौरे:

कंपनी का नाम	कारोबार का प्रमुख स्थान / निगमन का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31.03.2021	31.03.2020
सहायक कंपनियां :			
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	भारत	100.00%	100.00%
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.	भारत	-	100.00%
संयुक्त उद्यम :			
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	22.18%	22.18%

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एस 27 'पृथक वित्तीय विवरणों' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापित किया गया है।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ("अंतरक कंपनी") को आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ("अंतरिती कंपनी") में 1 अप्रैल, 2020 के रूप में नियत तारीख को समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल ने कंपनी को प्रत्येक 10 रुपये के 35,500 पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयरों को आरईसीटीपीसीएल के प्रत्येक 10 रुपये के 50,000 प्रदत्त इकिवटी शेयरों के निमित आवंटित किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) वर्तमान वर्ष के दौरान:

(क) एस्सार पावर ड्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला-ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला-बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला-सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेसर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लि. के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला-एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

(क) रतनइंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को 9,25,68,105 इकिवटी शेयर, 2,87,20,978 मोचनयोग्य वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

10.4 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इकिवटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उत्तर-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ / (हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	अमान्यकरण के समय उचित मूल्य	अमान्यकरण पर संचयी लाभ / (हानि)
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,271,211	249.92	248.69	228,789	4.23	4.21
लैंको टीस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड	-	-	-	102,000,000	-	(102.00)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के 1,22,71,211 इकिवटी शेयरों को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹249.92 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को अमान्य किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 11.1 के संदर्भ में)	39.94	34.61
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.41	0.30
(ग) अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	4.16	3.99
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.23	1.29
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
— भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 20.5 के संदर्भ में)	24,314.48	21,931.30
(व) अन्य वसूली योग्य राशि	127.03	140.95
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 के संदर्भ में)	(88.04)	(30.85)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	38.99	110.10
कुल (क से च)	24,399.21	22,081.59

11.1 कार्मिकों के ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों को दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
— मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	7.39	7.29
उप — जोड़ (क)	7.39	7.29
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
— मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.28	0.33
— अन्य को	32.27	26.99
उप — जोड़ (ख)	32.55	27.32
जोड़ (क+ख)	39.94	34.61

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.59 करोड़) है, शामिल है।

11.2 अन्य वसूली योग्य राशियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के समाप्त वर्ष	31-03-2020 के समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	30.85	26.69
जोड़ : वर्ष के दौरान सूजित	59.29	5.78
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(2.10)	(1.62)
समाप्ति पर शेष	88.04	30.85

12. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	227.47	1,811.17
आय कर हेतु प्रावधान	(72.35)	(1,552.27)
उप—जोड़	155.12	258.90
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.20	201.05
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(67.29)
उप—जोड़	4.95	133.76
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	160.07	392.66

13. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2,437.71	2,034.32

लेखा संबंधी टिप्पणियां

13.1 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में अमान्य	ओसीआई में अमान्य	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,275.92	467.33			2,743.25
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.01	0.52			4.53
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)			5.26
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)		3.57
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)		27.81
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,735.09	158.48	(109.15)	-	2,784.42
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करणों के विभिन्न कर आधार में देय	1.80	0.32			2.12
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	448.95	(295.69)			153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)			191.33
अन्य	12.57	(12.57)			-
कुल आस्थगित कर देयताएं	700.77	(354.07)	-	-	346.71
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,034.32	512.55	(109.15)	-	2,437.71

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में अमान्य	ओसीआई में अमान्य	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,966.72	(690.80)			2,275.92
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.02	(0.01)			4.01
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	-2.06			5.51
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39		10.00
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90		439.65
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,965.49	(387.69)	157.29	-	2,735.09
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करणों के विभिन्न कर आधार में देय	3.05	(1.25)			1.80
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	267.26	181.69			448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)			237.45
अन्य	-	12.57			12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	607.20	93.57	-	-	700.77
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,358.29	(481.26)	157.29	-	2,034.32

14 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	शेष राशि
31 मार्च 2021 के अनुसार	0.01	-	-	0.01
31 मार्च 2020 के अनुसार	0.01	-	-	0.01

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

14.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.90	0.61

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।
- अधिकार क्षेत्र में वर्तमान सर्किल दरें जहां निवेश संपत्ति स्थित हैं।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल-3 में शामिल हैं।

15. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर								पंजीयन कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	
	फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि के उपयोग का अधिकार	भवन	फर्नीचर और फिक्सवर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल				
सकल धारित मूल्य												
31.03.2019 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	10.65	19.92	18.50	0.40	193.19	196.94	1.59	17.25	
परिवर्धन	-	-	-	1.80	2.53	3.21	-	7.54	74.89	-	3.57	
पंजीयत लागत उधारियां										15.79		
निपटान	-	-	-	0.83	2.20	1.74	-	4.77	-	0.82	7.20	
31.03.2020 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	11.62	20.25	19.97	0.40	195.96	287.62	0.77	13.62	
परिवर्धन	-	-	98.66	9.65	4.71	5.10	-	118.12	131.70	-	0.02	
पंजीयत लागत उधारियां								-	22.04			
निपटान / समायोजन	-	-	-	0.72	3.28	7.97	-	11.97	105.69	-	-	
31.03.2021 के अनुसार	110.39	1.59	130.40	20.55	21.68	17.10	0.40	302.11	335.67	0.77	13.64	
संचित अवमूल्यन / परिस्थित												
31.03.2019 के अनुसार	-	0.31	8.58	6.32	13.37	10.33	0.30	39.21	-	-	8.74	
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.68	2.90	2.63	0.02	6.72	-	-	3.28	
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.34	1.89	0.74	-	2.97	-	-	7.20	
31.03.2020 के अनुसार	-	0.32	9.06	6.66	14.38	12.22	0.32	42.96	-	-	4.82	
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	0.94	2.69	2.38	0.02	6.81	-	-	2.72	
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.20	2.60	4.98	-	7.78	-	-	-	
31.03.2021 के अनुसार	-	0.35	9.81	7.40	14.47	9.62	0.34	41.99	-	-	7.54	
31.03.2020 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.27	22.68	4.96	5.87	7.75	0.08	153.00	287.62	0.77	8.80	
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	110.39	1.24	120.59	13.15	7.21	7.48	0.06	260.12	335.67	0.77	6.10	

15.1 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यारे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	-	4.59	68.31	4.59
निवल धारित मूल्य	-	2.07	68.31	2.14

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.2 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.45
निवल धारित मूल्य	2.31	2.41

15.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागतश' के संदर्भ में कंपनी के लिए 8% (पिछले वर्ष 8.04%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविड-19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

15.5 15.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, 5,000 रुपए अथवा कम है)।

15.6 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, कंपनी ने कुछ आवासीय भवन की इकाइयों के साथ धारित मूल्य 0.10 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल है, को बेचने का निर्णय लिया है जिसके निपटान के लिए आगे की कार्रवाई 31 मार्च 2021 के बाद की गई है। तदनुसार, इंड-एएस 105 के तहत परिसंपत्ति को "विक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्ति" के रूप में अपेक्षित ऐसी कार्रवाइयों की शुरुआती तारीख के बाद वर्गीकृत किया जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रक्रिया के वर्ष 2021-22 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

16 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	8.84	50.38
(ख) अन्य अग्रिम	3.34	5.12
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	47.47	44.37
(घ) पूर्व-व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	3.45	-
(ङ) पूर्वप्रदत्त व्यय	4.29	0.17
(च) आस्थागित कार्मिक लागत	14.09	13.21
(छ) अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.02
कुल (क से छ)	81.50	113.27

17 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	12,648.41	13,090.89	12,648.41	13,088.03
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41
उप - जोड़ (क)	34,240.00	35,526.77	38,494.74	39,948.68

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	169,868.60	175,719.53	148,662.20	153,685.20
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	-	-	1,364.85	1,363.91
(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
उप – जोड़ (ख)	196,341.38	201,801.29	172,659.29	177,138.86
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) कमर्शियल पेपर	-	-	2,925.00	2,889.68
उप – जोड़ (ग)	-	-	2,925.00	2,889.68
कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख +ग)	230,581.38	237,328.06	214,079.03	219,977.22
भारत में / से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	204,119.67	211,267.66	191,463.25	197,912.66
(ii) विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
जोड़ – ऋण प्रतिभूतियां	230,581.38	237,328.06	214,079.03	219,977.22

अंकित मूल्य में प्रतिविस्त्रित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 19.2 देखें।

17.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 18.5 का संदर्भ लें

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
123-III बी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.91	1,955.00	2,063.95
123-I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.61	1,515.00	1,615.56
कुल संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XIV (2020–21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान विमोचनीय	4,455.48	4,550.70	-	-
श्रृंखला XIII (2019–20) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,415.55	5,759.14	5,907.48
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,935.40	6,651.77	6,934.10
श्रृंखला XI (2017–18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विमोचनीय	-	-	9,565.23	9,940.15
जोड़ – 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73

(iii) कर मुक्त बांड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2015–16 भाग 1	700.00	703.19	700.00	713.90
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5ए	300.00	317.75	300.00	306.98

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय है।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 2	1,059.40	1,131.05	1,059.40	1,085.44
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य हैं और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	161.92	150.00	155.69
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 1	3,440.60	3,530.70	3,440.60	3,524.85
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,358.55	1,350.00	1,415.07
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012–13 भाग 2	131.06	138.66	131.06	133.92
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012–13 भाग 1	2,017.35	2,041.10	2,017.35	2,063.35
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2ए और 2बी	500.00	531.26	500.00	513.01
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011–12	3,000.00	3,176.71	3,000.00	3,175.82
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।				
जोड़ – कर-मुक्त बॉण्ड	12,648.41	13,090.89	12,648.41	13,088.03

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	856.62	854.71	400.19	399.41
5% आबंटन की ठीन्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 अप्रतिभृत दीर्घावधिक ऋण प्रतिमूलियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
208वीं श्रृंखला—7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,627.67	-	-
207वीं श्रृंखला—7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,644.40	-	-
183वीं श्रृंखला—8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.23	3,028.00	3,163.54
182वीं श्रृंखला—8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.66	5,063.00	5,315.09
201वीं बी श्रृंखला—6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,360.02	-	-
204वीं ए श्रृंखला—6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.31	-	-
203वीं ए श्रृंखला—6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,142.50	-	-
202वीं ए श्रृंखला—7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,649.96	-	-
198वीं बी श्रृंखला—7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.70	-	-
197वीं श्रृंखला—7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.76	-	-
189वीं श्रृंखला—7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.85	3,054.90	3,054.80
188वीं बीश्रृंखला—7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.08	1,100.00	1,100.07
192वीं श्रृंखला—7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,395.75	2,382.00	2,393.16
184वीं—ए श्रृंखला—8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय विमोचनीय	580.40	604.76	290.20	302.31
180वीं—बी श्रृंखला—8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,166.39	2,070.90	2,163.58
178वीं—श्रृंखला—8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,168.79	1,097.00	1,167.75
176वीं—श्रृंखला—8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.65	1,600.70	1,735.59
169वीं श्रृंखला—8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.52	2,554.00	2,621.29
168वीं श्रृंखला—8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,624.45	2,552.40	2,626.01
163वीं श्रृंखला—8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,627.99	2,500.00	2,628.20
162वीं श्रृंखला—8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.36	2,500.00	2,637.55
156वीं श्रृंखला—7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,612.72	3,533.00	3,614.64
147वीं श्रृंखला—7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.44	2,745.00	2,745.34
142वीं श्रृंखला—7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,055.87	3,000.00	3,056.26
140वीं श्रृंखला—7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,151.65	2,100.00	2,152.27
205वीं—बीश्रृंखला—5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,024.68	-	-
204वीं बीश्रृंखला—5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,116.78	-	-
203वीं बीश्रृंखला—5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,844.16	-	-
136वीं श्रृंखला—8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.10	2,585.00	2,671.22
95—II श्रृंखला—8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.61
94वीं श्रृंखला—8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.05
133वीं श्रृंखला—8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.28	2,396.00	2,452.91
201वीं ए श्रृंखला—5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.50	-	-
190वीं ए श्रृंखला—6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,513.83	2,500.00	2,523.03
131वीं श्रृंखला—8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.22	2,285.00	2,304.14
130वीं श्रृंखला—8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.14	2,325.00	2,493.00
129वीं श्रृंखला—8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.52	1,925.00	2,063.40
128वीं श्रृंखला—8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.67	2,250.00	2,418.53
186वीं बी श्रृंखला—7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.78	1,500.00	1,537.86
191वीं बी श्रृंखला—6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.18	1,100.00	1,107.13
180वीं ए श्रृंखला—8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,072.68	1,018.00	1,070.52
209वीं श्रृंखला—5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.62	-	-
205वीं ए श्रृंखला—4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,157.04	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
202वीं बी श्रृंखला—5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,556.56	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपीपी—बी—7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	300.00	311.54	300.00	311.55
200वीं श्रृंखला पीपी—एमएलडी—5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	518.94	-	-
191वीं ए श्रृंखला—6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.06	1,100.00	1,106.95
195वीं श्रृंखला—6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.21	-	-
114वीं श्रृंखला—8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.94	4,300.00	4,666.58
188वीं ए श्रृंखला—7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.17	1,400.00	1,400.13
159वीं श्रृंखला—7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.57	950.00	957.40
187वीं श्रृंखला—7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.24	2,090.00	2,129.37
185वीं श्रृंखला—7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,769.00	2,826.46	2,769.00	2,827.04
155वीं श्रृंखला—7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,958.74	1,912.00	1,959.12
111-II श्रृंखला—9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.50	2,211.20	2,283.64
152वीं श्रृंखला—7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.18	1,225.00	1,264.12
184वीं—बी श्रृंखला एसटीआरपीपीसी—7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.56	300.00	311.56
150वीं श्रृंखला—7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.38	2,670.00	2,775.25
186वीं ए श्रृंखला—6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.63	2,500.00	2,559.27
107वीं श्रृंखला—9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.56	2,378.20	2,554.46
179वीं श्रृंखला—8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.70	1,000.00	1,065.61
167वीं श्रृंखला—8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.65	2,571.80	2,577.54
198वींए श्रृंखला—6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	2,596.00	2,600.39	-	-
173वीं श्रृंखला—8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,509.41	2,500.00	2,510.23
132वीं श्रृंखला—8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.81	700.00	750.72
145वीं श्रृंखला—7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.85	625.00	628.97
165वीं श्रृंखला—8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.16	2,171.00	2,207.50
193वीं श्रृंखला—6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	1,115.00	1,121.46	1,115.00	1,118.70
190वीं बी श्रृंखला—6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	2,489.40	2,502.64	2,489.40	2,511.05
177वीं श्रृंखला—8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	1,245.00	1,274.16	1,245.00	1,274.50
141वीं श्रृंखला—7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.03	1,020.00	1,038.00
127वीं श्रृंखला—8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.92	1,550.00	1,664.78
105वीं श्रृंखला—9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,069.73	3,922.20	4,070.07
139वीं श्रृंखला—7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.17	2,500.00	2,575.10
184वीं—बी श्रृंखला एसटीआरपी—बी—7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	300.00	311.58	300.00	311.57
101-III श्रृंखला—9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.42	3,171.80	3,364.34
100वीं श्रृंखला—9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,602.90	1,500.00	1,603.01
174वीं श्रृंखला—8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.23	2,720.00	2,894.03
161वीं श्रृंखला—7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.11	800.00	849.01
154 श्रृंखला—7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.16	600.00	637.04
157वीं श्रृंखला—7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.66	1,055.00	1,131.47
158वीं श्रृंखला—7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	2,465.00	2,473.46
98वीं श्रृंखला—9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,012.79
153वां श्रृंखला—6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	-	-	2,850.00	2,899.77
97वीं श्रृंखला—8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	-	-	2,120.50	2,183.61
96वीं श्रृंखला—8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	-	-	1,150.00	1,193.96

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
184वीं—बी श्रृंखला एसटीआरपीपी—ए—7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.63
149वीं श्रृंखला—6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,485.00	2,573.44
135वीं श्रृंखला—8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,750.00	2,817.12
144वीं श्रृंखला—7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	-	-	835.00	840.30
172वीं श्रृंखला—8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	-	-	1,790.00	1,884.21
134वीं श्रृंखला—8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	-	-	2,675.00	2,740.31
143वीं श्रृंखला—6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,275.00	1,289.46
148वीं श्रृंखला—7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,200.00	1,203.61
जोड़ — संस्थागत बॉण्ड	169,868.60	175,719.53	148,662.20	153,685.20

*पीपी—एमएलडी— प्रिसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबैंचर

**एसटीआरपीपी—सेपरेटेली ट्रांसफरेबल रिडीमएबल प्रिसिपल पार्ट्स

(ii) अवसरंचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला—II (2011–12) — सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	21.36	11.07	19.80
श्रृंखला—I (2010–11) — सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	5.39	5.39
कुल: अवसरंचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आवंटित श्रृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	
9.15%संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15%वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	11.07	11.07	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
जेड्सीबी — श्रृंखला — II (अपरिशोधित निवल बहु पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	-	-	250.29	250.14
जेड्सीबी — श्रृंखला — I (अपरिशोधित निवल बहु पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	-	-	1,114.56	1,113.77
कुल: जीरो कूपन बॉण्ड	-	-	1,364.85	1,363.91

*जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) विदेशी मुद्रा बॉन्ड

(रुपयों में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,205.14	2,007.20	2,261.58	2,035.23
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,307.71	2,956.72	3,392.37	2,982.46
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,675.24	3,672.19	-	-
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,675.24	3,703.43	3,769.30	3,795.87
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,777.81	4,784.36	4,900.08	4,900.27
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,145.33	5,209.90	5,277.01	5,329.61
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,675.24	3,726.60	-	-
3.068% यूएस \$400 मिलियन बॉन्ड—सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	-	-	3,015.44	3,021.12
जोड़— विदेशी मुद्रा बॉन्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स –एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्योरिटीज ट्रेडिंग), एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.6 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन

17.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(रुपयों में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	2,889.68

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(रुपयों में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
63वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	675.00	664.69
64वीं श्रृंखला – 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,250.00	2,224.99
कुल	-	-	2,925.00	2,889.68

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72
(ii) वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
(iv) एफसीएनआर (बी) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89
(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
(vi) पट्टा देयताएं	0.05	0.05	0.07	0.07
उप-जोड़ (क)	66,763.35	66,969.87	52,680.27	52,827.78
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	10,186.52	10,201.99	2,749.86	2,750.92
(iii) नियंत्रक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,000.00	3,000.49	-	-
उप-जोड़ (ख)	18,515.62	18,537.49	8,705.35	8,715.83
कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	85,278.97	85,507.36	61,385.62	61,543.61
भारत में/से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i) भारत में उधारियाँ	64,254.25	64,616.42	39,622.91	39,964.32
(ii) भारत से उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
कुल - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	85,278.97	85,507.36	61,385.62	61,543.61

कृपया अकित मूल्य में प्रतिविवित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या. 19.2 देखें।

18.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- बैंक ऑफ बडौदा	2,000.00	2,000.36	2,500.00	2,500.52
12.12.2021 को ₹958.50 करोड़ प्रतिदेय, 12.12.2022 को ₹1041.50 करोड़ प्रतिदेय				
- एचडीएफसी	4,650.00	4,664.47	2,000.00	2,000.42
24.02.2022 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.09.2022 को ₹650 करोड़ प्रतिदेय, 19.06.2023 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय एवं 15.01.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
- पंजाब नेशनल बैंक	4,396.84	4,396.84	2,399.87	2,399.87
3 वार्षिक किश्तों में ₹1,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.09.2021 को देय है, 8 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹399.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 01.10.2021 को देय है एवं 3 वार्षिक किश्तों में ₹1,996.99 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,839.90	10,839.90	7,299.92	7,299.92
4 वार्षिक किश्तों में ₹1,839.97 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 05.09.2021 को देय है, 2 वार्षिक किश्तों में ₹3,999.93 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.10.2021 को देय है एवं 7 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है।				
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,399.34	3,399.34	2,199.99	2,199.99
6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,499.70 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 25.06.2022 को देय है, 6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,899.64 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 20.02.2023 को देय है।				
– केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00
28.02.2023 को ₹150 करोड़ प्रतिदेय, 29.02.2024 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.02.2025 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय				
– एचएसबीसी	1,652.50	1,652.77	-	-
19.05.2025 को ₹565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹187.5 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.03.2026 को ₹900 करोड़ प्रतिदेय				
– ड्यूश बैंक	500.00	500.08	-	-
18.12.2023 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
– जेपी मॉर्गन चेस बैंक	1,500.00	1,500.00	-	-
26.03.2024 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72

(i) अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.06.2023 को ₹800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 15.03.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 26.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़-अन्य से आवधिक ऋण-वित्तीय संस्थाएं	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण – 0.65% जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2021 को देय ही रही है	50.06	50.07	99.46	99.48
2.89% के एफडब्ल्यू-II ऋण – 30.12.2020 को प्रदत्त	-	-	64.60	65.03
1.86% के एफडब्ल्यू-II ऋण – 30.03.2024 तक ₹5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2021 को देय है।	317.22	317.87	393.41	393.52
उप जोड़ – (1)	367.28	367.94	557.47	558.03

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार की गारंटीकृत के बिना 6 एम यूएसडी एलआईबीओआर 0.13% के एफडब्ल्यू – IV ऋण – 15.11.2030 तक ₹12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, पहली किश्त 15.11.2021 को देय है।	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
उप जोड़ – (2)	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
(3) द्विपक्षीय / सिंडिकेट ऋण				
यूएस \$300 मिलियन – 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,205.14	2,216.83	-	-
यूएस \$425 मिलियन – 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,123.95	3,095.46	-	-
¥10,519 मिलियन – 25.09.2025 को प्रतिदेय	698.04	686.00	-	-
यूएस \$170 मिलियन – \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं \$70 मिलियन – 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,249.58	1,249.55	-	-
यूएस \$75 मिलियन – 30.03.2025 को प्रतिदेय	551.29	542.57	565.39	554.38
एसजी \$72.07 मिलियन – 30.03.2025 को प्रतिदेय	391.79	383.78	380.80	367.22
यूएस \$100 मिलियन – 01.07.2024 को प्रतिदेय	735.05	729.68	753.86	749.10
यूएस \$150 मिलियन – 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,102.57	1,085.82	1,130.79	1,104.53
यूएस \$250 मिलियन – 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,837.62	1,815.96	1,884.65	1,855.66
¥10,327.012 मिलियन – 08.08.2023 को प्रतिदेय	685.31	673.06	719.28	700.98
यूएस \$250 मिलियन – 29.08.2023 को प्रतिदेय	1,837.62	1,831.68	1,884.65	1,877.67
यूएस \$150 मिलियन – 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,102.57	1,097.49	1,130.79	1,121.92
यूएस \$200 मिलियन – 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,470.09	1,461.67	1,507.72	1,494.21
यूएस \$230 मिलियन – 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,690.61	1,676.86	1,733.88	1,702.97
यूएस \$100 मिलियन – 05.10.2021 को प्रतिदेय	735.05	733.36	753.86	745.81
यूएस \$240 मिलियन – 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,809.26	1,793.23
यूएस \$160 मिलियन – 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,206.17	1,195.78
यूएस \$300 मिलियन – 01.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,261.58	2,260.75
यूएस \$300 मिलियन – 29.07.2020 को प्रतिदेय।	-	-	2,261.58	2,269.17
उप- जोड़ – (3)	19,416.28	19,279.77	19,984.26	19,793.38
जोड़: विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29

(iv) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत
यूएस \$135 मिलियन – यूएस \$75 मिलियन 13.10.2020 को प्रदत्त तथा \$60 मिलियन 17.02.2021 को प्रदत्त	-	-	1,017.71	1,020.89
जोड़ – एफसीएनआर (ख) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89

(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत
– नेशनल स्माल सेविंग फण्ड (एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
13.12.2028 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(रुपये में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत
यूएस \$200 मिलियन— 20.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,470.15	-	-
यूएस \$100 मिलियन— 30.12.2021 को प्रतिदेय	735.05	735.06	-	-
यूएस \$75 मिलियन— 15.11.2021 को प्रतिदेय	551.29	551.29	-	-
यूएस \$200 मिलियन— 30.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,472.31	-	-
यूएस \$75 मिलियन— 20.05.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.11	-	-
यूएस \$75 मिलियन— 22.04.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.09	-	-
यूएस \$140 मिलियन— 13.01.2021 को प्रदत्त	-	-	1,055.40	1,055.51
यूएस \$100 मिलियन— 21.12.2020 को प्रदत्त	-	-	753.86	753.92
यूएस \$100 मिलियन— 03.12.2020 को प्रदत्त	-	-	753.86	753.93
यूएस \$100 मिलियन— 02.09.2020 एवं 30.09.2020 को प्रदत्त	-	-	753.86	753.86
यूएस \$200 मिलियन— 21.09.2020 को प्रदत्त	-	-	1,507.72	1,512.87
यूएस \$150 मिलियन— 20.05.2020 एवं 25.06.2020 को प्रदत्त	-	-	1,130.79	1,134.82
जोड़—एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91

18.3 टिप्पणी संख्या 18.1 (i), (ii) तथा (v) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.15% से 8.29% मासिक/तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

18.4 टिप्पणी संख्या 18.1 (iii)(3) में विदेशी मुद्रा उधार के 1/3/6 माह के लिए अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर), 6माह के लिए एसओआर (स्वैप ऑफर दर) बाहरी बैंचमार्क सहित 20 बीपीएस से 210 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

18.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थाखण्ड बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज 123—I और 123-III बी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के ब्रुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अकित मूल्य के एकबारगी चूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्टेडीड की शर्तों के अनुसार जारी कर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लॉर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी की गई 54ईसी कैपिटल कर मुक्त बॉण्ड और कर फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज XI, XII और XIII को (क) उप-प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम—सुभानपुरा, जिला वडोदरा रिथ्त परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन कर मुक्त न बॉण्ड की बॉण्ड सीरीज XIV को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए नोट संख्या 9 और 15.2 देखें।

19 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 199वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,127.54	-	-
(ii) 175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.45	2,151.20	2,151.86
(iii) 115वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	2,500.00	2,667.90	2,500.00	2,667.79
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
(i) भारत में उधारियाँ	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65

अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 19.2 देखें।

19.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारियाँ	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएएआर, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एए
घरेलू स्थायी बांड	क्रिसिल एएए, केयर ए ए
घरेलू अल्पावधि उधारियाँ	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

19.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियाँ	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय– लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	237,328.06	85,507.36	6,946.89	329,782.31
घटाएँ: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अंजित व्यालज	(7,571.09)	(397.62)	(299.48)	(8,268.19)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	824.41	169.23	3.29	996.93
कुल बकाया उधारियाँ	230,581.38	85,278.97	6,650.70	322,511.05
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय– लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	219,977.22	61,543.61	4,819.65	286,340.48
घटाएँ: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अंजित व्याज	(6,874.20)	(392.52)	(170.57)	(7,437.29)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियाँ	214,079.03	61,385.62	4,651.20	280,115.85

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 19.3** कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एंजेसियों से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज दृ सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।
- 19.4** सेबी के दिनांक 26 नवंबर, 2018 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 में यथाविहित 'बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधियां जुटाने के लिए फ्रेमवर्क के संदर्भ में कंपनी एक "लार्ज कारपोरेट" है। वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋणों के विवरण के बारे में उक्त परिपत्र के तहत आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

विवरण	विवरण
(i) कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
(ii) सीआईएन	L40101DL1969GOI005095
(iii) 31 मार्च 2021 के अनुसार कंपनी का बकाया उधार (₹ करोड़ में)	258,117.38
(iv) पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए एए, क्रिसिल एए, केयर एए, आईआरआरपीएल एए
(v) सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ	हाँ
(vi) स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माना का भुगतान करना होगा, के तहत आवश्यक उधार में कमी के मामले	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
(vii) वित्तीय वर्ष के लिए दर्ज की गई रिपोर्ट	2020-21
(viii) उधारियों का विवरण	
विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(क) वित्तीय वर्ष में लिए गए वृद्धिशील ऋण	74,517.66
ख) ऋण प्रतिभूतियों को जारी कर के अनिवार्य ऋण लेना (ए का 25%)	18,629.41
ग) वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण	53,413.50
घ) ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई है (ख-ग)	-
(ड) ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई है, के कारण	लागू नहीं

*उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित ऋणों में 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सभी बकाया ऋण शामिल हैं, लेकिन सेबी के परिपत्र के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।

20 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश	5.79	4.75
(ख) वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज	0.01	-
(ग) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज		
—परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	49.77	39.13
—बॉण्डों पर ब्याज	18.95	17.97
उप-जोड़ (ग)	68.72	57.10
(घ) सक्षिकी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)	89,640.91	85,006.38
जोड़ें: ऐसी निधियों/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	2.63	7.75
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(88,575.58)	(83,395.51)
सक्षिकी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	1,067.96	1,618.62
(च) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	24,314.43	21,792.32
(छ) निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	9.00	0.38
(ज) अन्य देयताएं	477.20	89.53
जोड़ (क से ज तक)	25,943.11	23,562.70

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इचेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 0.62 करोड़ (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.47 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

20.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रति देय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ. शा. 32024 / 17 / 97— पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ. एम.सं. 32024 / 23 / 2001— पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकलिप्त निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.71 करोड़ (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.69 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएवंएसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.69	0.63
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.06
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.71	0.69

20.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती हैं। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष “अन्य वित्तीय देयताएं” के अंतर्गत “असंवितरित” सब्सिडी/के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

20.4 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	7.75	17.23
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	26.38	30.64
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	31.50	40.12
अंतिम शेष	2.63	7.75

20.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को परा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सम्पूर्ण 10 लाख ₹ के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 2,500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,782.30) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 11)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
जीओआई-I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध-वार्षिक	21/3/2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई-II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध-वार्षिक	24/3/2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई- III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध-वार्षिक	27/3/2028	753.00	753.00
जीओआई- IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध-वार्षिक	28/9/2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई- V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध-वार्षिक	15/11/2028	3,600.00	3,600.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
जीओआई- VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध-वार्षिक	22/1/2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई- VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध-वार्षिक	8/3/2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई- VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध-वार्षिक	25/3/2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई- IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध-वार्षिक	2/3/2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई- X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध-वार्षिक	26/3/2030	532.30	532.30
जीओआई- XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध-वार्षिक	31/3/2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई- XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्ध-वार्षिक	7/1/2031	1,000.00	-
जीओआई- XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्ध-वार्षिक	28/1/2031	1,000.00	-
जीओआई- XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्ध-वार्षिक	26/3/2031	500.00	-
कुल				24,109.30	21,609.30

21 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	2,702.52	-
घटाएँ: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(2,691.90)	-
चालू कर देयताएं (निवल)	10.62	-

22 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
अर्जित अवकाश देयता	18.00	15.95
चिकित्सा अवकाश देयता	20.91	21.87
निपटान भत्ता	1.89	1.60
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.13	4.25
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.02	1.89
प्रोत्साहन	47.92	52.57
उप-जोड़ (क)	94.87	98.13
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	9.09	8.38
उप-जोड़ (ख)	9.09	8.38
जोड़ (क + ख)	103.96	106.51

22.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित ऋणहानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	8.38	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान सुजित	0.75	8.38
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(0.04)	-
अंतिम शेष	9.09	8.38

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹2,608.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹951.29 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधापत्रों से संबंधित है।

23 अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
(क) सनझाई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	5.07	6.57
(ख) पूंजी खाते के प्रति देय देयता	28.53	-
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	68.64	46.15
(घ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्त	0.75	3.90
(ङ) साविधिक देय	17.52	18.99
जोड़ (क से ङ)	120.51	75.61

24. अन्य इकिवटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹10 के इकिवटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹10 के पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
योग	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

24.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31–03–2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयरों	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

24.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इकिवटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

24.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इकिवटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

24.4 इकिवटी शेयर से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इकिवटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

24.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

(₹ करोड़ में)

शेयरधारकों के नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	167,255,577	8.47%	139,425,284	7.06%

24.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इकिवटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%

25 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इकिवटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इकिवटी है	5,584	558.40	-	-
जोड़	5,584	558.40	-	-

25.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	-	-
जोड़ / (घटाये) वर्ष के दौरान	5,584	558.40	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,584	558.40	-	-

25.2 लिखत धारक पूरी तरह से इकिवटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित करते हैं, तुलन पत्र की तिथि:

(₹ करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	-	-
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	-	-

25.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे: (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इकिवटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूँजी जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इकिवटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जारी किए गए बेमियादी ऋण लिखतों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	बांड्स की संख्या	आवंटन की तिथि	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
श्रृंखला 206	7.97%	5584	22-जनवरी-21	558.40	-

26. अन्य इकिवटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	19,222.23	16,659.10
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,128.41	2,992.83
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अधीन आरक्षित निधि	3,804.00	2,131.00
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(573.16)	(1,719.38)
(vi) सामान्य आरक्षित निधि	9,850.03	6,923.09
(vii) इपेयरमेंट आरक्षित निधि	-	793.29
(ख) बरकरार रखा गया अर्जन	4,325.09	3,409.74
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
—अन्य व्यापक आय के माध्यम से इकिवटी लिखत	24.07	106.26
—नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग / हिस्सा	(165.61)	(226.08)
—हेजिंग रिजर्व की लागत	41.45	(204.75)
जोड़ — अन्य इकिवटी	40,893.05	33,101.64

'अन्य इकिवटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इकिवटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

26.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की हैं;

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

- (क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बढ़े खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 1,152.55 करोड़
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इपेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹ 793.29 करोड़ रखाया गया है

(ii) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान

- (क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बढ़े खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹ 378.41 करोड़
- (ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 574(ई) के अनुसरण में डिवेंचर मोचन रिजर्व से ₹ 1,367.27 करोड़

26.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीघावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	16,659.10	15,136.78
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,563.13	1,522.32
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	19,222.23	16,659.10

26.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,992.83	3,034.72
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	288.13	336.52
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,152.55)	(378.41)
वर्ष के अंत में शेष	2,128.41	2,992.83

26.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,131.00	1,153.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	1,673.00	978.00
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,804.00	2,131.00

26.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,236.54	2,236.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	2,236.54	2,236.54

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्व लागू लेखांकन मानक 11 विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के प्रभाव के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनियम दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार इस तरह के मोचन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मौद्रिक लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मौद्रिक किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(1,719.38)	(764.82)
जोड़े: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद लाभ/हानि(-)	437.65	(1,630.51)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	708.57	675.95
वर्ष के अंत में शेष	(573.16)	(1,719.38)

26.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,923.09	5,177.40
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	981.10	-
जोड़े: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और सदिक्षणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	1,152.55	378.41
जोड़े: डिवेंयर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	1,367.28
जोड़े: इम्पेरिमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	793.29	-
वर्ष के अंत में शेष	9,850.03	6,923.09

26.8 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निवल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2020 तक इम्पेरिमेंट रिजर्व आरक्षित के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	793.29	-
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	793.29
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(793.29)	-
वर्ष के अंत में शेष	-	793.29

26.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इकिवटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इकिवटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इकिवटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में सचित किए जाते हैं। जब संबंधित इकिवटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	106.26	136.88
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	160.52	(116.81)
जोड़े: एफवीओसीआई इकिवटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(242.71)	86.19
वर्ष के अंत में शेष	24.07	106.26

26.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वादा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(226.08)	-
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	60.47	(226.08)
वर्ष के अंत में शेष	(165.61)	(226.08)

26.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(204.75)	-
जोड़े: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	246.20	(204.75)
वर्ष के अंत में शेष	41.45	(204.75)

26.12 वर्ष के दौरान डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	1,318.13
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	49.15
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(1,367.28)
वर्ष के अंत में शेष	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.13 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,409.74	4,899.39
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	8,361.78	4,886.16
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(10.67)	(2.15)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(981.10)	-
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(2,563.13)	(1,522.32)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(288.13)	(336.52)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(1,673.00)	(978.00)
घटाएं: डिबेंचर मोचन रिजर्व में हस्तांतरित	-	(49.15)
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	(793.29)
जोड़े: एफवीओसीआई इकिवटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	242.71	(86.19)
घटाएं: मियादी ऋण लिखतों(करों का निवल) का निर्गम व्यय	(0.70)	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,172.41)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	(435.78)
वर्ष के अंत में शेष	4,325.09	3,409.74

26.14 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इकिवटी शेयरों के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इकिवटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इकिवटी शेयर लाभांश	लाभांश राशि
अंतरिम लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
कुल लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41

27 ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां
(क) ऋण परिसंपत्तियां पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	34,232.84	-	-	29,245.18	-
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.06)	-	-	(0.08)	-
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	34,232.78	-	-	29,245.10	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	69.98	-	-	177.23	-
उप-जोड़ (क)	-	34,302.76	-	-	29,422.33	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/आईसीडी पर ब्याज	-	-	-	-	0.21	-
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	7.16	-	-	1.89	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	15.98	195.30	-	0.76	169.75
(vi) अल्पावधि निवेशों पर ब्याज	-	3.90	-	-	-	-
उप-जोड़ (ख)	-	27.04	195.30	-	2.86	169.75
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज	-					
(i) डिपॉजिट पर ब्याज	-	154.41	-	-	61.23	-
उप-जोड़ (ग)	-	154.41	-	-	61.23	-
(घ) अन्य आय पर ब्याज	-					
(i) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.70	-	-	4.45	-
(ii) अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	-	-	-	-	0.04	-
(iii) मोबालाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.56	-	-	2.39	-
(iv) सुरक्षा जमा की छूट को समाप्त करना	-	0.01	-	-	0.02	-
उप-जोड़ (घ)	-	4.27	-	-	6.90	-
जोड़ (क से घ)	-	34,488.48	195.30	-	29,493.32	169.75

28 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
—अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	8.43	50.00
—अन्य निवेशों से लाभांश	27.97	39.04
जोड़—लाभांश आय	36.40	89.04

28.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
लागत पर संयुक्त उद्यम लेखा से लाभांश		
—वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	-	2.10
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
—वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	27.63	36.94
—वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.34	-
जोड़	27.97	39.04

29 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	26.57	6.68
पूर्व अदायगी प्रीमियम	35.14	12.75
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	33.67	19.52
जोड़— शुल्क एवं कमीशन आय	95.38	38.95

लेखा संबंधी टिप्पणियां

30. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
—प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	2.77	6.38
—आयकर वापसी से ब्याज	0.94	1.68
—विविध आय	18.84	55.86
अन्य आय	22.55	63.92

31. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
— भारत सरकार से ऋण	820.81	612.97
— बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,090.94	1,725.04
— बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	643.83	917.26
— पट्टा देयता	0.01	0.01
उप-जोड़ (i)	3,555.59	3,255.28
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
— घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	15,423.20	13,930.38
— विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,183.12	854.73
— वाणिज्यिक दस्तावेज	35.32	463.66
उप-जोड़ (ii)	16,641.64	15,248.77
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
— अधीनस्थ बॉण्ड	394.15	395.36
उप-जोड़ (iii)	394.15	395.36
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
— स्वैप प्रीमियम	894.62	108.83
— आग्रह कर पर ब्याज	22.71	-
— कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	2.32	4.60
— उधारियों पर संशोधन लाभ/हानि	0.09	-
उप-जोड़ (iv)	919.74	113.43
जोड़—वित्तीय लागतें	21,511.12	19,012.84
घटां: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(22.04)	(15.79)
जोड़ — वित्तीय लागतें (निवल)	21,489.08	18,997.05

32. निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	330.26	2,357.90
जोड़	330.26	2,357.90

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 708.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 675.95 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का मोचन शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बैंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमर्बर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विनियम दरें	यूएसडी / आईएनआर	जेपीवाई / आईएनआर	यूरो / आईएनआर	एसजीडी / आईएनआर
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342

33. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	-	13.29
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.78	1.51
(iii) एजेंसी शुल्क	3.01	1.66
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.33	3.05
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	2.83	5.93
जोड़ (i से v)	9.95	25.44

34. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)		
(i) ड्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii) अन्य		
– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	545.92	(47.72)
– दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.43	6.40
– म्यूचुअल फंड में अत्यावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	23.98	15.47
उप-जोड़ (ii)	572.33	(25.85)
जोड़ (क)	572.33	(25.85)
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
– वसूली की गयी	1,077.91	(60.07)
– वसूली नहीं की गयी	(505.58)	34.22
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	572.33	(25.85)

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपर्याप्त व्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्यकरी हैंजो के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभागी हैज के तहत नामित नहीं होते हैं।

35. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	एफबीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफबीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण*	-	2,363.33	-	884.91
(ii) – अन्य	-	56.29	-	4.65
जोड़ (i+ii)	-	2,419.62	-	889.56

*सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹0.71 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹8.38 करोड़) शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

36 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	101.66	129.00
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	13.61	15.19
- सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ संबंधी व्यय	4.87	5.07
- कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	2.19	1.58
- कार्मिक कल्याण व्यय	22.51	24.95
	जोड़	144.84
		175.79

37 मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यहास	6.81	6.72
- मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.72	3.28
	जोड़	9.53
		10.00

38 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	139.78	253.64
- ओवरहेड्स	4.54	4.76
	जोड़	144.32
		258.40

38.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है कि जिसके लिए आवश्यक है कि कोई भी चल रही अन्य परियोजना के अलावा कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जानी चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर ऐसी राशि का तीन वित्तीय वर्षों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर के लिए बजट के रूप में ₹ 144.32 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 147.78 करोड़ खर्च किए गए हैं। वर्ष के दौरान खर्च की गई ₹ 3.46 करोड़ की अतिरिक्त राशि को आगे स्थानांतरित किया जाएगा और अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों के लिए समायोजित किया जाएगा।

38.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 144.32 करोड़ है

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 144.32 करोड़ है

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	144.32
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	147.78
अंतिम शेष	(3.46)

*अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के प्रावधानों के बाद से अव्ययित निधियों के विशिष्ट उपचार की आवश्यकता वाले संशोधन नियम 2021 को चालू वर्ष से लागू किया गया है, तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य / स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	27.59	-	27.59	54.67	-	54.67
शिक्षा / व्यावसायिक / कौशल विकास	17.68	-	17.68	41.57	-	41.57
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	17.63	-	17.63	32.21	-	32.21
खेल-कूद	-	-	-	-	-	-
पीएम केयर फंड में योगदान	50.00	-	50.00	100.00	-	100.00
कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान और कोविड-19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	7.65	-	7.65	1.59	-	1.59
अन्य	22.69	-	22.69	23.60	-	23.60
प्रशिक्षण, प्रभाव, मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्च	4.54	-	4.54	4.76	-	4.76
जोड़ (ii)	147.78	-	147.78	258.40	-	258.40

"कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 150 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019-20 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों, गरीब लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने के लिए ₹ 6.93 करोड़ और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली में कोविड-19 वैक्सीन को जमा करने के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए ₹ 0.72 करोड़ खर्च किए हैं। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

39 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
- यात्राएं वाहन सुविधा	8.00	13.69
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	4.90	5.73
- मरम्मत और अनुरक्षण	11.50	11.42
- किराया, कर एवं ऊर्जा लागतें	13.15	12.97
- बीमा प्रभार	0.10	0.13
- संप्रेषण लागत	2.23	3.24
- प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.86	2.70
- निदेशकों के बैठक शुल्क	0.10	0.19
- लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.43	1.52
- विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	9.86	11.81
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	4.03	1.69
- सरकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग व्यय	25.18	22.17
- विविध व्यय	25.37	44.44
जोड़	106.71	131.70

लेखा संबंधी टिप्पणियां

39.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
– लेखापरीक्षक के रूप में	0.66	0.44
– कराधान मामलों के लिए	0.25	0.11
– कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.26	0.35
– अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज / सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.40
(ii) प्रमाणन के लिए	0.04	0.04
– व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.04
उप-जोड़	1.31	1.38
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.12	0.14
जोड़ – लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय	1.43	1.52

*पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।

40 कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	2,683.62	1,552.99
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय / (लाभ)	223.28	62.88
– उप-जोड़ – चालू कर	2,906.90	1,615.87
–आस्थगित कर व्यय / (क्रेडिट)	(512.55)	481.26
जोड़	2,394.35	2,097.13

40.1 वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत शुरू की गई योजना के अनुसार कंपनी ने आकलन वर्ष 1997–98 से आकलन वर्ष 2017–18 अवधि से संबंधित पात्र आयकर विवादों के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चालू कर व्यय के रूप में ₹ 208.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और हिसाब किया गया है।

40.2 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का सामंजस्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	10,756.13	6,983.29
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	2,707.10	1,757.55
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(645.09)	(383.14)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजनों	112.70	20.68
गैर-कटौती योग्य अन्य कर व्यय	5.52	1.59
गैर कर योग्य आय	(9.16)	(22.41)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	223.28	62.88
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	659.98
कर व्यय	2,394.35	2,097.13

लेखा संबंधी टिप्पणियां

41. अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,361.78	4,886.16
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,361.78	4,886.16
डिनोमिनेटर		
इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,974,918,000	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इकिवटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	42.34	24.74
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/- रुपए प्रति इकिवटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	42.34	24.74

42. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

42.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) विवरण	0.24	0.22
(ख) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
कराधान मांग	10.49	113.69
– आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	0.30	38.30
– कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग		

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग / जीएसटी विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपीलीय प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

42.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
– पूंजीगत खाते में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	225.95	315.07
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	0.16	-
– अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	259.26	288.14

43 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस / प्राधिकार का व्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का व्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	140011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

44.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना” सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूँजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित ₹16,320 करोड़ है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

44.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में ‘सभी के लिए 24x7 विद्युत’ हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- (iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- (iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय ₹ 43,033 करोड़ होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

44.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक व्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूँजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूँजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में व्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर व्याज सब्सिडी (उधार कर्ताओं को व्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांक को भुगतान तथा अन्य आकस्मिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

45. पूँजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूँजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम रिटर्न देते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूँजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इकिवटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूँजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूँजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्ति की स्थिति के आलोक में उपर्युक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूँजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इकिवटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए “केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूँजी पुनर्गठन” के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूँजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी का इकिवटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निवल ऋण	321,370.56	278,437.82
निवल कीमत	43,426.37	35,076.56
ऋण-इकिवटी अनुपात	7.40	7.94

निवल ऋण, उपलब्ध बकाया मूलधन कम नकद एवं नकदी के समतुल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों के लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूँजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूँजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहाँ तक सीमित नहीं है। डीआईपीएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, कंपनी विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इकिवटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए सहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार सहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिषाटी सहिता आदि शामिल हैं।

46. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूँजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर-1 पूँजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूँजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) सीआरएआर	19.72%	16.06%
(ii) सीआरएआर-टियर । पूँजी	16.31%	13.17%
(iii) सीआरएआर-टियर ॥ पूँजी	3.41%	2.89%

टियर- । पूँजी के मियादी ऋण लिखत की राशि 1.44% है (पिछले वर्ष शून्य)

वर्ष के दौरान जुटाई टियर-॥ पूँजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
टियर-॥ पूँजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	1,999.50	-
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	558.40	-

47. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्य ढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा-निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्वक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रूपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम - इकिवटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इकिवटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा—निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम—व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/ 03.10.001 /2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

47.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की रिथति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्तियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

47.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकद समतुल्य	1,140.49	1,678.03
नकद और के अलावा बैंक शेष	1,929.06	2,021.96
ऋण*	358,891.11	299,697.53
निवेश**	1,237.84	1,568.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	24,399.21	22,081.59
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण*	2,888.05	2,431.27
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण*	18,256.93	21,255.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	88.04	30.85

*प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के सवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

**इसमें एफवीओसीआई/एफवीटीपीएल में किए गए इनिवेटी लिखतों और उद्यम पूँजी निधियों में निवेश और अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें इन्ड एस27 के तहत दी गई छूट के अनुरूप लागत पर ले लाया जाता है।

नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों तथा बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्ति, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायताओं, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा—निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व सवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वताक्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.1.2 ऋणों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्तों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान:

- नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए(नकद एवं नकद समतुल्यों के अलावा)– चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हार्ड रेटेंड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिषेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर है रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- निवेश के लिए यह मानते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/ चूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए – ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्त को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है;

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकद और नकद समतुल्य	1,140.49	-	1,140.49	1,678.03	-	1,678.03
बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	1,929.06	-	1,929.06	2,021.96	-	2,021.96
निवेश	1,237.84	-	1,237.84	1,568.96	-	1,568.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	24,487.25	88.04	24,399.21	22,112.44	30.85	22,081.59

*हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई *अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त है।

47.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

- (i) ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।
- (ii) संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास 'एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश' और 'व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति' मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- (i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, पार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए 'एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश' उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
- (ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपर्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और सवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फलो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- (iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- (iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- (v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।
- (vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाठी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाठियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियों नियुक्त की जाती हैं।
- (vii) अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।
- (viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयों) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैं: आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आवान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(x) ऋण जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक खतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

- ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)
- नियोजित पूँजी पर आय (15% भार)
- ब्याज कवरेज (25% भार)
- गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)
- गुणात्मक कारक**
- तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएफ
- वास्तविक चूक तिथियाँ
- परियोजना की स्थिति

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है:

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण 'स्टेज 1' के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को 'स्टेज 2' में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "स्टेज 3" में ले जाया जाता है।
- स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदात्मक भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफ टाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बैंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बैंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वार्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों, समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) स्टेज 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेख्य

स्टेज -3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियाँ) स्टेज-3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

- (क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।
- (ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(इ) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान (मान्यताएं)

- (i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- (ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ज) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

बाह्य / मैप्प्ड क्रेडिट रेटिंग	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	27,188.09	-	-	27,188.09	37,832.86	-	-	37,832.86
एए	95,722.23	-	-	95,722.23	82,131.73	-	-	82,131.73
ए	92,972.07	1,421.82	-	94,393.89	71,840.30	-	-	71,840.30
बीबीबी	29,817.62	-	-	29,817.62	28,629.56	-	-	28,629.56
बीबी	61,131.32	-	-	61,131.32	60,555.15	36.22	-	60,591.37
बी	17,049.99	69.68	-	17,119.67	9,876.29	23.37	-	9,899.66
सी	28,532.47	-	-	28,532.47	2,215.02	29.68	-	2,244.70
डी	1,874.55	1,396.55	18,256.93	21,528.03	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55
सरकारी ऋण	4,602.77	-	-	4,602.77	6,616.62	-	-	6,616.62
सकल अनावरण	358,891.11	2,888.05	18,256.93	380,036.09	299,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35
हानि भत्ते	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
निवल अनावरण	357,608.65	2,746.62	6,465.62	366,820.89	299,209.07	1,467.44	10,703.42	311,379.93

(झ) सम्पार्शिक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाठियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए सम्पार्शिक को स्वीकार करना है। कंपनी में सम्पार्शिक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख सम्पार्शिक क्रियाएँ निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्कर्तों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ञ) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर-1 और स्तर-2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी “स्टेप अप” (अथवा “स्टेप डाउन”)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बढ़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बढ़े खाते में डालना।

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवित्रित न किए गए सुधार पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आम तथा अंत के बीच तद्दुरुपी ईसीएल भत्ते को चाल करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
		सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42	
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78	(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-	
जीवनपर्यात ईसीएल में अंतरण कोडिट हानिप्रस्त नहीं	(1,609.07)	(1.90)	1,609.07	1.90	-	-	-	-	
जीवनपर्यात ईसीएल कोडिट में अंतरण कोडिट हानिप्रस्त	-	-	(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-	
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92	-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75	
नई उपलन अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	94,564.60	414.89	264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56	
(मोजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितण सहित)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है (मोजूदा परिसंपत्तियों में वस्तुली सहित)	-	-	(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)	
राइट ऑफ	358,891.11	1,282.46	2,888.05	141.43	18,256.93	11,791.31	380,036.09	13,215.20	
समाप्ति पर शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42	

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
		सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	256,448.63	525.25	4,412.61	1,273.73	20,348.44	9,698.95	281,209.68	11,497.93	
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)	
जीवनपर्यात ईसीएल में अंतरण कोडिट हानिप्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-	
जीवनपर्यात ईसीएल कोडिट में अंतरण कोडिट हानिप्रस्त	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-	
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	855.83	
नई उपलन अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	76,626.63	158.94	
(मोजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितण सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है (मोजूदा परिसंपत्तियों में वस्तुली सहित)	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)	
राइट ऑफ	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42	
स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:									

(ट) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2
कुल एक्सपोजर	358,891.11	2,888.05	18,256.93	380,036.09	299,697.53
हानि भत्ता	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46
ईसीएल%	0.36%	4.90%	64.59%	3.48%	0.16%

(₹ करोड़ में)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ठ) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किसम के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	156,901.95	12,035.54	147,021.68	11,122.97
नवीकरणीय ऊर्जा	17,388.24	117.88	9,163.65	161.31
ट्रांस्को	61,309.37	502.51	49,658.96	503.89
डिस्कॉम्स	139,833.76	557.90	110,923.44	214.26
सरकारी ऋण	4,602.77	1.37	6,616.62	1.99
कुल	380,036.09	13,215.20	323,384.35	12,004.42
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	338,973.84	938.40	284,778.15	297.60
निजी	41,062.25	12,276.80	38,606.20	11,706.82
कुल	380,036.09	13,215.20	323,384.35	12,004.42

(ड) क्षेत्र-वार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.84%	6.59%

(इ) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	4.84%	6.59%
(ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.71%	3.32%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.78%	3.45%
(iv) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रांरभिक शेष	21,255.55	20,348.44
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	38.22	2,037.61
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(2,789.74)	(752.09)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(247.10)	(378.41)
(च) अंतिम शेष	18,256.93	21,255.55
(iv) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) प्रांरभिक शेष	10,703.42	10,649.49
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	34.59	691.40
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(4272.39)	(637.47)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-
(च) अंतिम शेष	6,465.62	10,703.42
(v) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) प्रांरभिक शेष	10,552.13	9,698.95
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,038.26	1,346.21
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(551.98)	(114.62)
(घ) वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(247.10)	(378.41)
(च) अंतिम शेष	11,791.31	10,552.13

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(प) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड-एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2021 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 5.04% (पिछले वर्ष 6.60%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.99% (पिछले वर्ष 3.46%) रहा था।

(त) राइटऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बढ़े खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निकर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्शिक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्शिक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(थ) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्त ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(द) परिशोधित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित/पुनर्निर्मित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) 109 – वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता दद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे/निपटाए गए खातों की संख्या	1	1
एकीकृत बकाया (₹ करोड़ में)	510.98	236.80
प्राप्त एकीकृत राशि (₹ करोड़ में)	329.13	124.13

(ध) कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(न) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्रॉफ), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आरबीआई के कोविड-19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अधिदेय राशि
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97

वर्ष के दौरान, ऋणकर्ताओं में से एक मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड पुनर्गठित हुआ है और पुनर्चित अनुसूची के अनुसार देय को पूरा कर रही है। 31 मार्च 2020 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के एड-अंतरिम आदेश के कारण इसे ऋण क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या डी.ओ.आर.नं. बीपी.बीसी. 63 / 21.04.048 / 2020-21 के अनुसरण में आरबीआई कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियां, जहां अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	-	1460.22
(ii) संगत राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ बढ़ाया गया है	-	23.37
(iii) किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv) चूक के वर्ष के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

नोट— कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्य प्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के आईआरएसीपी शर्तों के तहत आवश्यक इस तरह के प्रावधानों पर नीचे दिए गए नोट (डब्ल्यू) में आईआरएसीपी शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की गणना के लिए विचार किया गया है।

(फ) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ती के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धौरित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धौरित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	356,273.17	357,285.43	1,273.37	356,012.06	2,304.84	(1031.47)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	-4.19
उप जोड़ (1)		359,161.22	360,210.67	1,414.80	358,795.87	2,450.46	(1035.66)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		18,203.40	18,203.40	11,770.46	6,432.93	9,879.96	1890.50
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		18,256.93	18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		377,418.15	378,467.60	13,206.11	365,261.48	12,351.27	854.84
अन्य मद्दें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र	स्तर 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़ (3)		2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
जोड़	स्तर 1	358,891.11	359,903.37	1,282.46	358,620.91	2,304.84	(1022.38)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
	स्तर 3	18,256.93	18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
		380,036.09	381,085.54	13,215.20	367,870.33	12,351.27	863.93

इंड-एएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निषिद्ध आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	298,737.86	300,392.16	480.08	299,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		301,169.13	302,823.99	1,443.91	301,380.08	2,481.55	(1037.64)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.31	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		19,200.72	19,200.72	10,066.00	9,134.72	10,095.18	(29.18)
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.42	10,316.16	235.97
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		322,424.68	324,079.54	11,996.04	312,083.50	12,797.71	(801.67)
अन्य मद्दें जो इंड-एएस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र*	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप-जोड़ (3)		959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
जोड़	स्तर 1	299,697.53	301,351.83	488.46	300,863.37	1,779.27	(1290.81)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
	स्तर 3	21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.42	10,316.16	235.97
	कुल	323,384.35	325,039.21	12,004.42	313,034.79	12,797.71	(793.29)

*इंड-एएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-नियंत्रित आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबंध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दग्नि कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी निश्चित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित सवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मौनिटिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पकालिक निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरन्तर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह को निगरानी करके आवश्यक नकद प्रवाह की ओर दर्शाना) निर्मानुसार है।

47.2.1 भविष्य के अनुदिक्कातंड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी प्रवाह वित्तीय देनदारियों की वर्तुओं की ओर बहती है (भविष्य की अधोधित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निर्मानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	2 माह से अधिक एवं 2 माह तक	3 माह से अधिक एवं 3 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गेर-च्युप्टन वित्तीय देयताएँ:										
छपी उद्धारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,870.73
-मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,119.67
-ब्याज	-	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,841.36	22,724.28	16,731.83
अन्य उद्धारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,340.32
- मूल	-	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90
-ब्याज	-	-	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,150.70
-ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,650.70
विदेशी मुद्रा उद्धारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56
-ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,128.28
अन्य उद्धारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,512.87
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,461.71
-ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,872.57
च्युप्टन देयताएँ:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ब्याज दर स्वेच्छा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.65
मुद्रा स्वेच्छा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.08
अन्य -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वेच्छा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67
सीगल ऑफिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)									
31 मार्च 2020 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 3 माह तक	2 माह से अधिक एवं 6 माह से अधिक एवं 1 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	1 वर्ष से अधिक एवं 1 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक
गैर-युत्पन्न वित्तीय देयताएँ:									
रुपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियाँ									
-मूल	-	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,204.76
-ब्याज	-	379.26	242.78	937.01	2,166.66	3,488.47	7,033.94	21,092.29	14,197.97
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	500.00	600.00	500.00	2,159.86	1,566.76	11,453.05	5,820.02	10,050.02
-ब्याज	244.00	15.01	83.73	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49
अधीनस्थ देयताएँ									
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20
-ब्याज	-	-	-	201.50	-	-	192.96	788.93	587.95
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियाँ									
- मूल	-	-	-	-	-	-	3,015.44	-	13,946.39
-ब्याज	-	-	-	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85
अन्य उधारियाँ									
- मूल	-	-	-	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60
-ब्याज	22.35	1.76	20.98	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15
युत्पन्न देयताएँ									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	58.63	190.17	337.26
अन्य -	-	-	-	-	-	-	-	-	586.06
रिवर्स कॉस्ट मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	75.15	664.52
									739.67

पुट एड कॉल आशन वाले बैंडिस को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तरीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तरलता विलेखण युत्पन्न अनुच्छेद के उचित मूल्यों पर आधारित है अंत परिपक्वता बढ़ते, सर्वाधित युत्पन्न उत्पकर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाले गई हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तोणा निम्नलिखित रूप में ऋणों से छट्टहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 2 माह तक	1 माह से अधिक एवं 3 माह तक	2 माह से अधिक एवं 6 माह तक	3 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	6 माह से अधिक एवं 3 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार											
- मूल	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,262.69	364,212.04
-ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	217,938.50
31 मार्च 2020 के अनुसार											
- मूल	29.56	13.4	547.04	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	62,791.10	55,014.93	163,572.36	310,428.64
-ब्याज	11.86	2.28	598.86	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	189,908.03

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बफेट में विचार किया गया है।

47.2.2 आखरीआई द्वारा यथा निर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियाँ और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1-7 दिनों तक	8-14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 2 माह तक	1 माह से अधिक एवं 3 माह तक	2 माह से अधिक एवं 6 माह तक	3 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	6 माह से अधिक एवं 3 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियाँ	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,945.143	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,808.04	365,261.49
निवेश	-	-	-	-	-	-	37.28	100.64	136.13	1,635.73	1,909.77
रुपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ	367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,244.43	46,217.54	44,490.29	75,777.90	211,267.66	
अन्य उधारियाँ	350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	59,281.41	
अधीनस्थ देयताएं	-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	6,946.89	
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	26,060.40	
अन्य उधारियाँ	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	26,225.95
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ											
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

4723 विज्ञापोषण लाभस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रायः आवृत्ति बढ़ाई शविधाओं तक पहुँच थी:

३५

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– रक्काई दर	-	-
– अस्थाई दर	5,547.28	8,775.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण / उधार)		
– रक्काई दर	-	-
– अस्थाई दर	-	497.82

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

47.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रबाधी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ('एएलसीओ') भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेंद्रण (उधारियाँ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	20	14
राशि (₹ करोड़ में)	182,250.87	125,850.36
कुल देयताओं का %	51.08%	40.41%

(ii) शीर्ष 10 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	10,839.90	3.36%	7,299.92	2.61%
2. भारत सरकार—नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.10%	10,000.00	3.57%
3. 54 ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	6,651.77	2.06%	6,651.77	2.37%
4. 54 ईसी श्रृंखला – XIII (2019–20)	6,157.72	1.91%	5,759.14	2.06%
5. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	5,800.00	1.80%	-	-
6. विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस # 700 मिलियन बॉण्ड	5,145.33	1.60%	5,277.01	1.88%
7. संस्थागत बॉण्ड – 182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.57%	5,063.00	1.81%
8. संस्थागत बॉण्ड – 203वीं ए श्रृंखला	5,000.00	1.55%	-	-
9. विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस # 650 मिलियन बॉण्ड	4,777.81	1.48%	4,900.08	1.75%
10. एचडीएफसी से आवधिक ऋण	4,650.00	1.44%	-	-
11. संस्थागत बॉण्ड – 114वीं श्रृंखला	-	-	4,300.00	1.54%
12. 54ईसी श्रृंखला – XI (2017–18)	-	-	9,565.23	3.41%
13. संस्थागत बॉण्ड – 105वीं श्रृंखला	-	-	3,922.20	1.40%
कुल	64,085.53	19.87%	62,738.35	22.40%

(iii) महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के आधार पर वित्त संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %
1 ऋण प्रतिभूतियाँ				
संस्थागत बॉण्ड	173,338.60	48.58%	152,132.20	48.85%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	7.42%	22,615.78	7.26%
54ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जांप्शन बॉण्ड	18,121.59	5.08%	22,376.33	7.19%
टैक्स फ्री बॉण्ड	12,648.41	3.54%	12,648.41	4.06%
उप— जोड़ (1)	230,570.31	64.62%	209,772.72	67.36%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देनदारी का %
2 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	8.39%	18,899.78	6.07%
विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	5.89%	21,762.71	6.99%
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	10,186.52	2.85%	-	-
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.80%	10,000.00	3.21%
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	1.63%	-	-
एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	1.49%	6,973.20	2.24%
उप— जोड़ (2)	82,278.92	23.06%	57,635.69	18.51%
3 अधीनस्थ देयताएँ	6,650.70	1.86%	4,651.20	1.49%
जोड़ (1+2+3)	319,499.93	89.54%	272,059.61	87.36%

(iv) स्टॉक अनुपदात:

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देनदारी का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देनदारी का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%
गैर-परिवर्तीय डिब्बेवर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपत्ति है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएँ	20,511.10	6.36%	5.75%	5.12%	10,551.34	3.77%	3.39%	3.05%

* महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल लिखत / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है:

उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

- कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।
- उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी परिसमापन परिसंपत्तियों हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्शिक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंच जाना चाहिए।

कंपनी 1 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक मासिक टिप्पणियों पर @50% की दर से एलसीआर बनाए रख रही है और उसके बाद प्रति दिन के आधार पर (तथापि आरबीआई ने केवल 01 अप्रैल, 2021 से प्रति दिन के आधार पर एलसीआर निर्धारित किया है)।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वैप बैलेस के रूप में भारतीय रूपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियों एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और ऑटो स्वैप बैलेस आते हैं। 31 मार्च, 2021 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मदे	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	82%
– नकद और नकद समतुल्य	23%
– जी-सेक और एसडीएल	59%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	18%
– कॉरपोरेट बॉन्ड	18%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	-
कुल	100%

परिसमापन कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त तिमाही		31.03.2020 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	2,151.50	2,120.54	2,249.00	2,221.13
– एए / एएए कॉर्पोरेट बांड	206.39	175.43	185.81	157.94
– जी-सेक बांड / राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	483.29	483.29	345.69	345.69
– बैंक ऑटोस्वैप	1,461.82	1,461.82	1,717.50	1,717.50
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	11,720.66	13,478.76	10,418.50	11,981.28
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	2,193.98	2,523.08	1,970.25	2,265.78
कुल नकद बहिर्प्रवाह	13,914.64	16,001.84	12,388.75	14,247.06
नकदी अंतर्प्रवाह				
प्रतिशूलि उधार	-	-	-	-
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	7,480.10	5,610.08	6,789.11	5,091.83
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	11,807.52	8,855.64	6,290.00	4,717.50
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	19,287.63	11,760.86	13,079.11	9,809.33
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए		2,120.54		2,221.13
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह		4,240.98		4,437.73
परिसमापन कवरेज अनुपात		50.00%		50.05%

*औसतन, 31.01.2021, 28.02.2021 को टिप्पणियों और मार्च, 2021 के दौरान दैनिक अवलोकनों पर विचार किया गया है।

47.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, अग्रवर्ती संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर रवैये के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनियम दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल रवैये और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनियम दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन-देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन-देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सहा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निम्नलिखित किया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य (₹ करोड़ में))

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से तिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर
अमेरिकी डॉलर \$	6,893.85	3,500.00	3,393.85	6,591.96	4,070.00	2,521.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	50,673.04	25,726.65	24,946.39	49,694.10	30,682.06	19,012.04
जापानी येन ¥	21,600.36	20,845.99	754.37	11,755.14	10,623.67	1,131.47
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,433.40	1,383.34	50.06	818.75	739.94	78.81
यूरो €	36.85	11.40	25.45	55.15	29.70	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	317.30	98.12	219.18	458.04	246.69	211.35
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.80	380.80	-
कुल	52,815.53	27,599.90	25,215.63	51,351.69	32,049.49	19,302.20

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन-हेज्ड एक्सपोजर पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (लाभ/हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	933.39	(933.39)	711.35	(711.35)
जापानी येन/भारतीय रुपया	1.87	(1.87)	2.95	(2.95)
यूरो/भारतीय रुपया	8.20	(8.20)	7.91	(7.91)

*अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती हैं:

- (i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
- (ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्न (डिरियेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।
- (iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम और हेजिंग लिखतों की काल्पनिक राशि हेज की गई वस्तुओं के समान है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा (भिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि परिसंपत्तियाँ देखाते	(₹ करोड़ में) अनुपात	हेज औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	भारत औसत	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मर्दों के मूल्य में परिवर्तन
हेज एवं जोखिम के प्रकार						
नकटी प्रवाह हेज						
विदेशी विनियम एवं व्याज दर जोखिम						
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं						
-सिग्नल स्ट्रक्चर	यूएसडी 2,595	1,458.96	43.25	अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32 (611.68)
	जेपीवाई 20,846.12	198.23	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66 (131.87)
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-	मार्च 2024	1:1	71.94 (93.51)
(ii) क्रॉस मुद्रा स्पैप	यूएसडी 1,350	-	244.37	दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93 (73.78)
	जेपीवाई 10,327.12	-	4.06	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62 (0.08)
	एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44% 21.54 (21.54)
(iii) कंट्रल मूल स्पैप	यूएसडी 375	-	121.08	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41 (174.62)
(iv) व्याज दर स्पैप	यूएसडी 260	-	69.74	मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32% 1.12

हेज लेखांकन का प्रभाव
(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	राष्ट्रीय मुद्रा (भिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि	पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/ दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मर्दों के मूल्य में परिवर्तन
हेज एवं जोखिम के प्रकार		परिसंपत्तियाँ देयताएँ					
नकदी प्रवाह हेज							
विदेशी विनियम एवं व्याज दर जोखिम							
(i) संरचनाएँ							
-सिग्नल स्ट्रक्चर	विदेशी मुद्रा विकल्प यूएसडी 1,410	1,494.84	-	मई 2020 - मार्च 2025	1:1	71.88	213.14 (213.14)
	जेपीवाई 10,327.10	167.37	-	अगस्त 2023	1:1	0.62	10.30 (10.30)
कॉल स्ट्रेड	यूएसडी 250	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36 (81.36)
(ii) क्रॉस मुद्रा खेप	यूएसडी 1,000	-	297.86	दिसंबर 2020 - मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35) 175.22
	जेपीवाई 10,327.10	-	5.28	अगस्त 2023	1:1	0.42%	(1.29) 1.29
एसजीडी 72.08	2.32	-	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32 (2.32)
(iii) व्याज दर खेप	यूएसडी 1,260	5.24	134.45	जुलाई 2020 - जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91) 185.91

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) लाभ एवं हानि पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
31-03-2021 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				
-मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	(1,065.12)	-	580.30	विदेशी विनियम टांसलेशन पर लाभ/हानि
			179.56	वित्तीय लागत
31-03-2020 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				
-मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	55.30	0.13	(629.26)	विदेशी विनियम टांसलेशन पर लाभ/हानि
			0.03	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	(226.08)	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आतंरिक मूल्यों में परिवर्तन	(625.61)	687.21
जोड़े : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(52.32)	(174.20)
जोड़े : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(1.12)	(185.90)
घटाएँ : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	759.86	(629.23)
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(20.34)	76.04
अंतिम शेष	(165.61)	(226.08)
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	(204.75)	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(386.06)	(382.41)
घटाएँ : समय मूल्य का परिशोधन	715.06	108.80
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(82.80)	68.86
अंतिम शेष	41.45	(204.75)

47.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण विचीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएबॉण्ड/जी-सेक पैदावार/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बैंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं पर सीमित नहीं है। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, अग्रेषित ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अन-हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर
भारतीय रुपए उधारियाँ	35,738.58	-	35,738.58	19,899.78	-	19,899.78
अमेरिकी डॉलर \$	2,768.85	1,630.00	1,138.85	3,241.96	2,830.00	411.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	20,352.38	11,981.27	8,371.11	24,439.81	21,334.21	3,105.60
जापानीयen ¥	20,846.14	10,327.14	10,519.00	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,383.35	685.31	698.04	719.28	719.28	-
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.83	380.83	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	57,866.10	13,058.37	44,807.73	45,439.70	22,434.32	23,005.38

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध-स्थिर दर अर्थात् ऋणकर्ता के साथ 143x10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय-समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धी की दरों, मंजुरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री-पैमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री-पैमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	रुपी ऋण	363,580.03	रुपी ऋण	312,065.92

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (प्राप्ति/हानि) / पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(167.65)	167.65	(86.08)	86.08
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,360.37	(1360.37)	1,167.63	(1167.63)

*अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से सभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

47.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग-अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर दर) और 6 माह एसओआर (स्वैप ऑफर दर) शामिल हैं। ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
1 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	1,690.61	230.00
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	5,512.85	750.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	13,148.92	1,788.85
6 मिलियन जेपीवाई एलआईबीओआर	1,383.35	188.20
6 मिलियन एसओआर	391.79	53.30
कुल	22,127.52	3,010.35

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 को घोषित किए गए अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगी और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगी। चूंकि एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर दर) भी अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर से निर्धारित की जाती है, अतः यह भी 30 जून, 2023 से गैर-प्रतिनिधिकारक हो जाएगी।

(i) ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे ही प्रभावित एक्सपोजर

ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल राशि 13,468.66 करोड़ रुपये है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से जुड़े व्युत्पन्न होने वाले एक्सपोजर की नाममात्र राशि और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित 4,752.33 करोड़ रुपये है।

(ii) वैकल्पिक निर्धारण दरों में जाने की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर निर्धारण सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम—मुक्त दरों से बदल दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर का प्रतिस्थापन होगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज दर) जेपीवाई एलआईबीओआर की जगह लेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त सांविधिक निकाय है जो वैश्विक व्युत्पन्न सौदों को नियंत्रित करता है, सभी पुराने अनुबंधों को नए निर्धारणों में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (सामान्यतः फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) के साथ आया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत विभिन्न एलआईबीओआर निर्धारण के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से सभी प्रतिपक्षकारों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न ट्रेडों पर लागू हो जाएगा।

(iii) ब्याज दर निर्धारण सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण अनुमान

इंड एएस 109 में ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवादों का प्रावधान है। जबकि उल्लिखित ऋण के लिए निर्धारण अभी तक उधारदाताओं से सहमत नहीं हुए हैं, यह माना जाता है कि उल्लिखित ऋण की वैकल्पिक निर्धारण दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस तरह के परिणाम के रूप में व्युत्पन्न अनुबंध और हेज प्रभावशीलता में इस सुधार के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं आता है।

47.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूँजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ / (हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	21.51	(21.51)	25.68	(25.68)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	1.18	(1.18)	0.63	(0.63)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48. व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

48.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	25,035.68	29,056.52
(ii) हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	339.60	141.71
(iii) स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv) स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य	(64.05)	(444.35)

आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

48.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में प्रवेश नहीं किया है।

48.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
हेजिंग के लिए	27,599.89	32,049.49	25,035.68	29,056.52	4,547.00	4,347.00
(ii) मार्केट टू मार्केट स्थितियां						
a) परिसंपत्ति (+)	1,971.62	3,177.14	339.60	141.71	-	-
b) देयता (-)	164.33	-	403.65	586.06	278.33	739.67
(iii) क्रेडिट एक्सपोजर	4,854.40	5,559.58	574.96	346.42	632.05	602.05
(iv) अनहेजेड एक्सपोजर	25,215.63	19,302.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल कंवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल है।

***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल है।

49. कंपनी पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

भारत, वर्तमान में भारत में मामलों की संख्या में काफी वृद्धि से कोविड-19 महामारी की दसरी लहर से जुझा रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक है और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में कोंद्रित हैं। वैश्वक लहरें बताती हैं कि विनिर्माण क्रियाकलाप पर प्रभाव कम विनाशकारी है क्योंकि टीकाकरण का कार्य गति पकड़ रहा है।

कंपनी के पास परिसमापन बफर

मजबूत ऋण प्रोफाइल और उधार के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण कंपनी ने अपनी परिसमापन की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूँजी/सावधि ऋण सीमा के रूप में पर्याप्त परिसमापन बफर लागू किए हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड-19 राहत पैकेज

भारत सरकार ने अपने कोविड-19 राहत पैकेज के भाग के रूप में, विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों के बकाया देयों को दूर करने के लिए आरईसी और पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से राज्य सरकार के गारंटीशुदा ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को परिसमापन निषेचन घोषित किया था। 15 मई 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने इस परिसमापन पैकेज के भाग के रूप में डिस्कॉमों को क्रमशः ₹ 67,083 करोड़ और ₹ 40,766 करोड़ पहले ही संस्थीकृत और संवितरित किए हैं।

कोविड-19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति का वर्गीकरण और आय की पहचान

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुसार और भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च,

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2020 से 31 अगस्त, 2020 की स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति लागू की है। कंपनी ने कुल राशि को वापस/समायोजित करने का अनुमान लगाया है और इस प्रकार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ब्याज आय ₹129.25 करोड़ तक कम है।

कंपनी का मानना है कि वैश्विक टीकाकरण में तेजी और कोविड के मामलों में धीरे-धीरे कमी से, व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाकलाप पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं, जिससे विद्युत की मांग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। आरईसी की सुविधाजनक परिसमापन स्थिति और धनराशि के विविध स्रोतों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें चल रहे वित्त मूल्यांकन भी शामिल हैं। तथापि, प्रभाव भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर रहेगा, जो अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई सूचना और सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई अथवा उसके प्रभाव को कम करने अथवा उसके फैलने को रोकने के लिए कंपनी के क्रियाकलाप शामिल हैं।

50 एक्सपोजर संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के एक समूह के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेंद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.2184 / 03.10.001 / 2015-16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के महेनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को आरबीआई प्रूडेंशियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

50.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च 2021 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च 2020 को शून्य)।

50.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) इकिवटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इकिवटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	671.93	738.13
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इकिवटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii) अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इकिवटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इकिवटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्शिवक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अथवा जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इकिवटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इकिवटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इकिवटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर	-	-
पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	671.93	744.25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

50.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

50.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	228,371.07	184,741.84
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	60.51%	57.30%
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	342,453.58	288,397.43
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	62.28%	59.46%
(iii) क्रेडिट-इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण		
उपरोक्त चार क्रेडिट - इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,489.02	8,618.52

51. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	8	1,758.79	1,766.92
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	8	552.43	1,551.93
पर मापित निवेश*			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10	430.13	513.55
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10	209.65	1,558.53
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकद और नकद समतुल्य	6	1,140.49	1,678.03
बैंक शेष (नकद और नकदी समतुल्य के अलावा)	7	1,929.06	2,021.96
ऋण परिसंपत्तियां	9	365,261.49	312,083.50
निवेश*	10	1,051.79	22.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,399.21	22,081.59
जोड़		396,733.04	343,278.94
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	8	482.51	437.59
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	8	363.80	888.14
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
ऋण प्रतिभूतियाँ	17	237,328.06	219,977.22
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	85,507.36	61,543.61
अधीनस्थ देयताएं	19	6,946.89	4,819.65
अन्य वित्तीय देयताएं	20	25,943.11	23,562.70
जोड़		356,571.73	311,228.91

*अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरणों' के अनुसार लागत पर मापा जाता है और इसलिए, इसे यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.1 उचित मूल्य अनुक्रम

उपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं [चरण-1 मापने] के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट [चरण-3 मापने] को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इकिवटी निवेश	430.13	-	-	430.13	507.43	6.12	-	513.55
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इकिवटी निवेश	23.60	-	-	23.60	12.50	-	-	12.50
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	-	-	-	-	1,500.62	1,500.62
डिबेंचर्स	-	-	143.06	143.06	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेफरेंस शेयर	-	-	42.99	42.99	-	-	45.41	45.41
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखितें	-	2,311.22	-	2,311.22	-	3,318.85	-	3,318.85
एफवीटीपीएल पर देयताएं								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	846.31	-	846.31	-	1,325.73	-	1,325.73

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

- (क) उद्धृत इकिवटी निवेशों में निवेश – चरण 1 – सूचीबद्ध इकिवटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।
- (ख) व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें – चरण 2 – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें अग्रेषित विनियम दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से व्याज दरें और अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव शामिल हैं।
- (ग) उद्यम पूँजी निधि में निवेश – चरण 3 – उद्यम पूँजी निधि में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। निधि परिसमाप्त में जा चुकी है और वसूली योग्य मूल्य अनिश्चित है।
- (घ) गैर-उद्धृत इकिवटी निवेशों में निवेश – चरण 3 – यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर-उद्धृत इकिवटी शेयरों में निवेश को चरण-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।
- (ङ) गैर-उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश – चरण 3 – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीपीसीपीएस) में निवेश को चरण-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझौते के अनुसार छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिविवित करने के लिए समायोजित किया गया है।
- (च) एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश – चरण 3 – एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिविवित करने के लिए समायोजित किया गया है।

- (छ) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश – चरण 3 – आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिविवित करने के लिए समायोजित किया गया है।

51.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय लिखतों का मिलान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इकिवटी शेयर में निवेश	कुल
प्रारंभिक शेष	1,500.62	45.41	-	-	-	1,546.03
ऋण समायोजन में प्राप्त (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	149.56	-	-	149.56
समायोजन	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	6.15	-	6.15
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	0.00	(6.15)	-	(14.83)
अंतिम शेष	-	42.99	143.06	-	-	186.05
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	-	10.57	12.42	(6.15)	(16.00)	0.84

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इकिवटी शेयर में निवेश	कुल
प्रारंभिक शेष	1,556.87	-	-	-	-	1,556.87
ऋण समायोजन में प्राप्त (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	32.42	-	-	-	32.42
समायोजन	(224.50)	-	-	-	-	(224.50)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	168.25	1.50	-	-	-	169.75
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49	-	-	-	11.49
अंतिम शेष	1,500.62	45.41	-	-	-	1,546.03
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	0.62	12.99	-	-	(16.00)	(2.39)

वर्ष के दौरान युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उवित मूल्य के मापन पर इकिवटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 10.4 का संदर्भ लें

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतें का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,140.49	1,140.49	1,678.03	1,678.03
बैंक शेष(नकद एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	1,929.06	1,929.06	2,021.96	2,021.96
ऋण	365,261.49	366,843.62	312,083.50	311,112.33
निवेश	1,051.79	1,057.27	22.93	22.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,399.21	24,401.09	22,081.59	22,077.36
कुल	393,782.04	395,371.53	337,888.01	336,912.61
वित्तीय देयताएं				
ऋण प्रतिभूतियां	237,328.06	235,612.09	219,977.22	212,002.45
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	85,507.36	85,562.85	61,543.61	61,984.35
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	7,610.21	4,819.65	5,028.88
अन्य वित्तीय देयताएं	25,943.11	25,943.11	23,562.70	23,562.70
कुल	355,725.42	354,728.26	309,903.18	302,578.38

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्त, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्त और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च 2021 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी-सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित व्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

पीएसयू बॉन्ड में निवेश

आरईआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉन्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात् जी-सेक बांड की थील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

52. ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी की देयता बकाया है, जो कि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। इसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित किए गए ऐसे पक्षकारों की स्थिति के आधार पर किया गया है।

53. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

53.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 09 नवंबर 2020 से
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून 2020 से 8 नवंबर 2020 तक) और निदेशक (तकनीकी)
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी के नामित निदेशक (गैर- कार्यपालक निदेशक)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 से
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) – 5 फरवरी 2021 को आरईसीटीपीसीएल का आरईसीपीडीसीएल में विलय आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(4) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई 2020 को निगमित)

फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)

राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (6 जून 2020 को निगमित)

बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (8 जून 2020 को निगमित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (11 जून 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज—I लिमिटेड (4 अगस्त 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड (20 अगस्त 2020 को निगमित)

रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (26 जून 2020 को निगमित की गई और 9 मार्च 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी।

(5) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होलिडंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होलिडंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएसएल ट्राईजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी, यूएई

(6) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(7) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(8) वे कंपनियां जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

- एनएचपीसी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)
- एसजेवीएन लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)
- खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

(9) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:

(क) मुख्य धारक कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लो	निदेशक (परियोजना) 31 मई 2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वित्त) (30 जून तक)
श्रीमती परमेंदर चौधरी	निदेशक (वित्त) (1 जुलाई 2020 से)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) और अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 से
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक 2 नवंबर 2020 तक
श्री राम चन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) धारक कंपनी की मुख्य अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पावर इकियटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीपी) – कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया और एमसीए के तहत भंग कर दिया गया सूचना संख्या–आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके–7/10148 दिनांक 30.06.2020)

(ग) मुख्य धारक कंपनी की सहायक कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड

बिहार मेंगा पावर लिमिटेड

चैम्पूर इंफ्रा लिमिटेड

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (समापन के लिए अनुमोदन के अधीन)

कोस्टल महाराष्ट्र मेंगा पावर लिमिटेड (हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

देवघर मेंगा पावर लिमिटेड

घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

झारखण्ड इंफ्रा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

तातिया आंध्र मेंगा पावर लिमिटेड (हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से–13 मई 2020 को निगमित)

भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से–17 मई 2020 को निगमित)

बिजवाड–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से–बंद करने के अनुमोदन के अधीन)

बीकानेर–II भिवाडी ट्रांसको लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से–12 मई 2020 को निगमित, 25 मार्च 2021 को बेचा गया)

करुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से–20 नवंबर, 2019 को निगमित)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- खेत्री—नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से—15 मई 2020 को निगमित)
- कोप्पल—नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से—18 नवंबर 2019 को निगमित)
- शॉगटोंग—करछम—वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से—हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)
- सीकर— II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से—17 मई 2020 को निगमित)
- टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से—हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)
- वापी—II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से—23 जून 2020 को स्टेरलाइट ग्रिड लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

(घ) मुख्य धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

- पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
- पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास
- पीएफसी परिभाषित अंशदान पेशन योजना 2007
- पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(इ) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

- पीटीसी इंडिया लिमिटेड
- भूटान में पुनात्संगछु—I, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
- भूटान में पुनात्संगछु—II, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण
- भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण

53.2 संबद्ध पक्षकारों से / को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,000.49	-
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	57.44	10.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.16	2.73
अन्य वित्तीय देयताएं	5.57	3.77
आरईसी टीपीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां—धारक कंपनी	-	47.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	1.26
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां	19.90	19.90
अन्य वित्तीय देयताएं—भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय देयताएं—अन्य	9.00	0.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	4.21
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.10
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.28	0.33
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.54	0.92

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.3 वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों के संबंध में बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण एवं अग्रिम		निवेश	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
आरईसीटीपीसीएल	1.63	2.47	0.05	0.05
आरईसीपीडीसीएल	4.16	2.92	0.10	0.05

53.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	1,143.44
निवेशक के बैठक का शुल्क	0.10	0.02
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,000.00	-
वित्तीय लागत	0.49	-
आरईसी पीडीसीएल		
संवितरित की गई सरकारी फंड	-	0.02
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	8.96	7.37
लाभांश आय	8.43	-
वित्त लागत-प्रदत्त ब्याज	0.85	0.84
अन्य व्यय	7.98	9.68
आरईसी टीपीसीएल		
कंपनी के बॉण्ड्स का सब्सक्रिप्शन	-	12.00
संवितरित की गई सरकारी फंड	-	9.50
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	4.42	4.91
लाभांश आय	-	50.00
वित्त लागत - प्रदत्त ब्याज	3.71	4.76
अन्य व्यय	-	0.61
ईईएसएल		
इकिवटी में निवेश	-	71.60
लाभांश आय	-	2.10
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	1.50	31.78
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	5.70
होलिडंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	1.40
वित्त लागत-प्रदत्त ब्याज	0.74	1.70
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वित्तीय लागत-प्रदत्त ब्याज	0.38	0.33
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	-	0.01
वित्त लागत	0.01	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.21	2.45
निवेशकों का बैठक शुल्क	-	0.17
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	-	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	90.00	152.49

चालू वर्ष के दौरान, आरईसीटीपीसीएल के साथ संबंधित पक्षकार लेनदेन को प्रभावी तिथि यानी 5 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत किया गया है (नोट 10.2 देखें)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन—देन बड़ी निकटता से अर्थात् आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्ड धारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय बाजार की प्रचलित दर पर उठाया गया था। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

53.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभांश	3.01	2.25
(ii) नियोजन पश्चात लाभांश	0.20	0.20
कुल	3.21	2.45

चांकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग—अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

53.7 वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) से मांग पर प्रतिदेय ₹3,000 करोड़ की राशि का अल्प अवधि ऋण जुटाया है। ऋण 4% प्रति वर्ष की दर से लिया गया है, जो कंपनी द्वारा उठाई गई मांग पर अन्य अल्पावधि उधार/ऋण प्रतिदेय के साथ तुलनीय है। तब से वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि के संबंध में ऋण पूरी तरह से चुकाया गया है।

53.8 उसी सरकार (सरकार से संबंधित कंपनियों) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन—देन:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम

नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित संस्थाओं से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,837.27	1,437.18
ब्याज आय को मान्यता	2,178.00	2,139.65

सरकार से संबंधित संस्थाओं से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	22,649.28	21,612.09
ब्याज उपचित	7.73	248.04

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन—देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11.18.2(i), 20 और 31 देखें।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

54 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹12.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.41 करोड़) हैं। राइट-ऑफ-यूज एसेट्स सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹12.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.46 करोड़) है।

नीचे दी गई पट्टा देयताओं की धारित राशि (उधारी के तहत शामिल) और वर्ष के दौरान संचलन के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	0.07	0.11
वर्ष के दौरान अर्जित वित्त लागत	0.01	0.01
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.03)	(0.05)
अंतिम शेष	0.05	0.07

नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
1 वर्ष तक	0.02	0.03
1-5 वर्ष तक	0.04	0.05
5 वर्ष से अधिक	-	-

55. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

55.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि, अधिनियम में निधि के सदस्यों को दिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज निर्धारित नहीं है, रिटर्न की निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी भी कमी का मुआवजा कंपनी द्वारा दिया जाना है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में भी कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा और इसलिए, आगे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आवंटित की जाती है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹13.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.1 करोड़) का व्यय माना है।

55.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है। उपदान की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	32.44	36.82
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.25	35.47
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	2.19	1.35

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	36.82	42.41	35.47	44.15	1.35	(1.74)
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.93	2.27	-	-	1.93	2.27
ब्याज लागत / आय	2.28	2.95	2.38	3.40	-0.10	(0.45)
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	4.21	5.22	2.38	3.40	1.83	1.82
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.49)	1.82	-	-	(0.49)	1.82
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.58	(0.89)	-	-	0.58	(0.89)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.33)	(0.41)	0.33	0.41
ओसीआई में मान्य कुल राशि	0.09	0.93	(0.33)	(0.41)	0.42	1.34
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	1.42	0.06	(1.42)	(0.06)
भुगतान किए गए हितलाभ	(8.68)	(11.74)	(8.69)	(11.73)	0.01	(0.01)
अंतिम शेष	32.44	36.82	30.25	35.47	2.19	1.35

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्ति कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	151.69	136.42
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	144.06	140.64
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	7.63	(4.22)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	136.42	129.77	140.64	97.99	(4.22)	31.78
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.90	2.80	-	-	2.90	2.80
ब्याज लागत / आय	8.94	9.73	9.45	7.55	(0.51)	2.18

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	11.84	12.53	9.45	7.55	2.39	4.98
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.20)	18.85	-	-	(5.20)	18.85
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	19.94	(15.32)	-	-	19.94	(15.32)
– ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	1.64	3.32	(1.64)	(3.32)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	14.74	3.53	1.64	3.32	13.10	0.21
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	0.08	31.78	(0.08)	(31.78)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.31)	(9.41)	(7.75)	-	(3.56)	(9.41)
अंतिम शेष	151.69	136.42	144.06	140.64	7.63	(4.22)

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपांगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषण रहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.13	4.25

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	4.25	3.69
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.16
ब्याज लागत / आय	0.25	0.26
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	0.45	0.42
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (लाभ)	0.02	0.34
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.73	0.99
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	0.75	1.33
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.32)	(1.19)
वर्ष समाप्ति पर शेष	4.13	4.25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य व्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

55.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	0.01	0.93	1.90	3.40
गैर-उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड / डिबेंचर	-	-	142.16	137.24
अन्य-बीमाकर्ता प्रबंधित फंड एवं टी-बिल	30.24	34.54	-	-
उप-जोड़-गैर-उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	30.24	34.54	142.16	137.24
जोड़	30.25	35.47	144.06	140.64

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹13.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.86 करोड़) है।

55.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च 2021 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%
भविष्य की वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	16.03	15.41	16.03	15.41	16.03	15.41

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शायी गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 के अनुसार		31-03-2020 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	(0.90)	0.97	(0.77)	0.94
– पीआरएमएस	(11.14)	11.66	(10.02)	10.48
– ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
– उपदान	0.14	(0.13)	0.14	(0.11)
– पीआरएमएस	-	-	-	-
– ईआरएस	0.15	(0.14)	0.16	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
– पीआरएमएस	10.83	(10.44)	9.74	(9.39)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
– पीआरएमएस	15.56	(14.92)	13.99	(13.42)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक—दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएँ सह—संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखियों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

55.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार	31-03-2020 के अनुसार
एक वर्ष से कम	7.87	11.95	12.20	9.89	1.19	1.26
1 से 5 साल तक	20.81	15.95	72.60	47.71	3.00	2.83
5 साल से ऊपर	31.10	32.68	285.02	231.09	3.19	5.35
कुल	59.78	60.58	369.82	288.69	7.38	9.44

55.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	3.98	3.29	10.91	-	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.54 वर्ष है (31.03.2020 को – 12.57 वर्ष)।

55.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

55.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹4.21 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹7.75 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में डाली गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹0.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.93 करोड़) का व्यय बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में डाला गया है।

55.4 इसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट के आधार पर कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी लाभों (अर्थात् ग्रेचुटी, पीआरएमएफ, सीमांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) का आवंटन कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।

56. राज्य विद्युत बोर्ड के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/ का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- (i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- (ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।
- (iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।
- (iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, व्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

57. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक व्यापारिक खण्ड आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खण्ड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना: भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खण्ड में परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक खण्ड के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

57.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	34,364.47	29,441.76
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	33.67	19.52
(ग) खजाना संचालन से आय	178.39	76.91
कुल	34,576.53	29,538.19

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 57.2 इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि कंपनी के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।
- 57.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान कंपनी के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।
58. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक शृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकद एवं नकद समतुल्य	1,140.49	-	1,678.03	-
(ख) उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	1,928.81	0.25	2,021.96	-
(ग) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	258.94	2,052.28	1,180.60	2,138.25
(घ) ऋण	36,576.91	328,684.58	28,989.11	283,094.39
(ङ) निवेश	37.28	1,872.50	1,500.62	812.59
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	259.59	24,139.62	447.02	21,634.57
कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	40,202.01	356,749.23	35,817.34	307,679.80
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	160.07	-	392.66
(ख) आस्थागित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,437.71	-	2,034.32
(ग) निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	260.12	-	153.00
(ङ) चल रहे पूँजीगत कार्य	-	335.67	-	287.62
(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	0.77
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	6.10	-	8.80
(ज) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	72.66	8.84	62.89	50.38
कुल – गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	72.66	3,209.29	62.89	2,927.56
कुल परिसंपत्तियां (1+2)	40,274.67	359,958.52	35,880.23	310,607.36
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	73.13	773.18	58.63	1,267.10
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	45,057.34	192,270.72	48,574.64	171,402.58
(ग) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	27,509.52	57,997.84	19,375.68	42,167.93
(घ) अधीनस्थ देयताएं	299.49	6,647.40	170.58	4,649.07
(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	1,833.81	24,109.30	1,953.40	21,609.30
कुल – वित्तीय देयताएं (1)	74,773.29	281,798.44	70,132.93	241,095.98
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	10.62	-	-	-
(ख) प्रावधान	62.64	41.32	67.81	38.70
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	88.41	32.10	70.74	4.87
कुल – गैर-वित्तीय देयताएं (2)	161.67	73.42	138.55	43.57
कुल देयताएं (1+2)	74,934.96	281,871.86	70,271.48	241,139.55

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है।

59. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

60. मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़्यू बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 8, 9, 10, 19.1, 26.1, 43, 46, 47.1.3 (ओ), 47.1.3 (एस), 47.1.3 (टी), 47.2.2, 47.3, 48, 50, 53, 59, 61, 62. में किए गए हैं।

61. 31 मार्च 2021 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

हालांकि, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से अपने पत्र दिनांक 20 अगस्त 2020, 8 सितंबर 2020, 17 नवंबर 2020 और 15 फरवरी 2021 और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से अपने मेल के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त 2020 और 8 सितंबर 2020 को कुल रु. 49,44,200 (जीएसटी सहित) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमों की नियमित प्रशासन आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन 2015 के लिए बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है कंपनी के निदेशक मंडल या, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।

62. 31 मार्च 2021 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

63. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रूपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रूपयों में पूर्णांकित किया गया है।
लेखा संबंधी 1 से 63 तक टिप्पणियां स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन – 06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन / एन500091

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी— क्रमागत रूप से महत्वपूर्ण गैर—जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित व्यौरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर / बॉण्ड्स :				
– प्रतिभूत	35,581.38	-	40,004.39	-
– अप्रतिभूत	209,521.27	-	182,845.62	-
(ख) आवधिक ऋण				
– वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
– एनएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12		10,326.81	
– बैंकों से अप्रतिभूत ऋण	29,953.76		18,900.72	
– वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	5,800.00		1,000.00	
(ग) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	-
(घ) अन्य ऋण				
– विदेशी मुद्रा उधारियां	21,060.17	-	21,813.83	-
– एफसीएनआर (ख) ऋण	5,335.01	-	6,985.80	-
	10,201.99		2,750.92	
– अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,000.49		-	
– फाइनेंस लीज ऑफिलोगेशन	0.05		0.07	

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	परिसंपत्ति पक्ष:			
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का व्यौरा				
(क) प्रतिभूत	247,657.93		235,470.39	
(ख) अप्रतिभूत	116,554.11		74,958.25	
(3) निवेश :				
चालू निवेश :				
उद्धृतः				
(i) शेयर: इक्विटी	23.60		12.50	
अनुद्धृतः				
(i) शेयर: प्रेफरेंस	69.08		68.34	
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	292.16		-	
दीर्घावधि निवेश				
उद्धृतः				
(i) शेयर: इक्विटी	430.13		507.43	
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	227.52		1,500.62	
अनुद्धृतः				
(i) शेयर: इक्विटी	218.20		218.20	
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	649.08		-	
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-		6.12	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उद्धारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31-03-2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	247,657.93	116,554.11
जोड़	247,657.93	116,554.11
31-03-2020 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	235,470.39	74,958.25
जोड़	235,470.39	74,958.25

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
(ख) समान समूह की कंपनियां	218.10	218.10	218.10	218.10
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,691.57	1,691.57	2,095.01	2,095.01
जोड़	1,909.77	1,909.77	2,313.21	2,313.21

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	18,256.93	21,255.55
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	6,465.62	10,703.42
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	349.28	54.60

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
टीआईएन-06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टीआईएन-00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 00113एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन / एन500091

एस.मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतूल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656